

भूमि / Land → जमीन



↓
 सीमित / Limited
 संसाधन Resource

राज्य सूची
 → कृषि
 → जल / जलसिंचन
 → सिंचन

LIVE

निजी भू-स्वामियों/मा निधि

भूमि अधिग्रहण (अर्जन क्या है?)

What is Land Acquisition?

सार्वजनिक आवश्यकता
विक्री को किना आवश्यकता
में बड़ी है।

सरकार Govt → खरीदना

लोक प्रयोजन के लिए →
निजी भू-स्वामियों से
भूमि लेने, खरीदने की
प्रक्रिया
For public purpose
→ Process of
acquiring and
purchasing land
from private land
owners


सरकार के प्रख्यात डोमेन
(Eminent Domain) में
आता है (अनिवार्य खरीद)
Comes under the
Eminent Domain of
the Government
(Compulsory
Purchase)

संपत्ति अर्जन → समवर्ती
सूची का विषय
Acquisition of
property → Subject
of Concurrent List

लोक प्रयोजन = जनता का हित
→ रोड/सड़क
→ विद्युत संयंत्र
→ औद्योगिक प्रयोजन
आदि

भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून

Laws related to Land Acquisition



- ❑ "Public welfare - the supreme law" / "लोक कल्याण - सर्वोच्च कानून"
- ❑ "Necessitas publica major est quam private" - लोक आवश्यकता, निजी आवश्यकता से बड़ी है।

- ❑ भूमि अधिग्रहण कानून पर विधि आयोग की 10वीं रिपोर्ट – नये भूमि अधिग्रहण कानून का आधार
- ❑ **10th Law Commission Report on Land Acquisition Law – Basis for new Land Acquisition Law**

अधिनियमन तिथि / Date of Enactment → 26-09-2013

उद्देश्य / Objective:

लागू: 1 जनवरी
2014

Enforced on: 1
January 2014

अध्याय: 13

Chapters: 13

कुल धारा: 114

Total

Sections: 114

अनुसूचिया: 4

Schedules: 4

भूमि अधिग्रहण हेतु -

For land acquisition -

□ अधिक न्याय संगत, /

More equitable,

□ पारदर्शी, /Transparent,

□ सहभागी प्रक्रिया, /

Participatory process,

□ उचित मुआवजा एवं पुनर्वास

/ Proper compensation
and rehabilitation


राष्ट्रपति /

President →

27-09-2013

उद्देश्य - निम्न के लिए प्रावधान करने हेतु
Purpose- To provide for the following:

2015, 2017, 2018



प्रभावित कुटुम्बों को

Provision for providing

- ↓
- उचित प्रतिकर, / **fair compensation,**
 - पुनर्वासन & पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान हेतु प्रावधान करने / **To make provision for rehabilitation & resettlement**

*

□ भूमि अर्जन का / **Land acquisition**

↓
□ संपूर्ण परिणाम / **The overall result**

↓
□ प्रभावित - विकास में भागीदार बने / **Impressed - Become a partner in development**

□ सामाजिक & आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके / **Impressed - Become a partner in development**

Right to Fair Compensation &

असूनाम / Chapter: 1 : यररररर Preliminary

Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act,

Section / धारा: 1 [RFCTLARR] 2013

नाम / Name:

विरदार / Extent

लगाव / Enforce-ment

शून्य अर्जन, पुनर्वासन & पुनर्वासन

श्री. अमित शर्मा और पारदर्शी संगुण शर्मा

अधिका, अधिनियम, 2013

Whole India


* 2, Jan, 2014

LIVE

* धारा: 2 - अधिनियम का लागू होना ⇒ LARR Act EXAMINER

Section: 2 - Application of the Act

फिल रिपोर्ट में लागू होगा



CG/SG

Public-Private Partnership

1. भूमि अर्जन - समुचित सरकार द्वारा / Land acquisition - by appropriate government

↓

स्वयं के उपयोग, अधिकार व नियंत्रण हेतु / for its own use, possession and control

↓

PSU तथा लोक प्रयोजन हेतु / for PSU and public purpose

2. भूमि अर्जन : Land acquisition.

a. PPP → 70%

b. प्राइवेट / Private → 80%

3. भूमि अर्जन / Land Acquisition :

a. प्राइवेट कंपनी द्वारा सीधे भू-स्वामी से अर्जन / Acquisition by a private company directly from the landowner

b. प्राइवेट कंपनी द्वारा समुचित सरकार से अनुरोध / Request by a private company to the appropriate government

भूमि अर्जन –
समुचित सरकार
द्वारा

- a - सामरिक प्रयोजन / **Strategic purpose**
- b – निम्न अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट / **Low infrastructure projects**
 - i. आर्थिक कार्य विभाग / **Department of Economic Affairs**
 - ii. कोल्ड स्टोर आदि / **Cold storage etc.**
 - iii. कॉरिडॉर / **Corridor**
 - iv. सिंचाई / **Irrigation**
 - v. शैक्षणिक इकाई / **Educational Unit**
 - vi. क्रीड़ा, परिवहन, अंतरिक्ष / **Sports, Transport, Space**
 - vii. अन्य / **Others**
- c. प्रभावित कुटुंबो – योजना / **Affected Family Scheme**
- d. गृह निर्माण / **Housing**

धारा - 03 ⇒ परिभाषाएं

Section - 03 ⇒ Definitions

धारा-3 (a) - प्रशासक की परिभाषा

Section-3 (a) – Definition of Administrator

मुआवजा / प्रतिकर आदि प्रावधानों को लागू करने वाला अधिकारी (सामान्य तौर पर जिला कलेक्टर)

Officer implementing provisions of compensation/compensation etc. (Generally District Collector)

धारा - 3 (c) - प्रभावित कुटुंब की परिभाषा

Section – 3 (c) – Definition of affected family

प्रभावित कुटुंब के अन्तर्गत निम्नलिखित आयेगे-

The following will come under the affected family-

(i) ऐसा कोई कुटुंब जिसकी भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है।

Any family whose land or other immovable property has been acquired.

(ii) ऐसा कुटुंब जिसके पास अपनी भूमि(मालिकाना हक) नहीं है, लेकिन कोई सदस्य श्रमिक, किरायेदार, बटाईदार या अन्य अधिकार से भूमि से जुड़ा हो।

A family which does not own the land (as owner) but any member is associated with the land as a labourer, tenant, share-cropper or in any other right.

अथवा जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, अधिग्रहण की तारीख से 03 वर्ष पहले तक उस भूमि पर कार्य कर रहे हो तथा जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित हो गया है।

Or has been working on the land which is to be acquired, till 03 years before the date of acquisition and whose main source of livelihood has been affected by the acquisition of land.

(iii) ऐसी अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारम्परिक वन निवासी जिन्होंने भूमि के अर्जन से अपने किसी भी वन्य अधिकार को खो दिया है।

Scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights due to the acquisition of land.

(iv) ऐसा कुटुंब जिसकी जीविका भूमि अर्जन से 3 वर्ष पूर्व तक वन या जल संसाधनों पर आधारित रही हो, जैसे – वन उपज बटोरने वाले, शिकारी, मछुआरे और केवट आदि।

A family whose livelihood was dependent on forest or water resources during the period three years prior to land acquisition, such as forest gatherers, hunters, fishermen, boatmen, etc.

(v) ऐसा कोई कुटुंब जिसे केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी योजना के तहत कोई भूमि सौंपी गयी थी और उस भूमि का अब अधिग्रहण होना है। / **Any family to which any land was allotted by the Central or State Government under any scheme and that land is now to be acquired.**

(vi) नगरीय क्षेत्रों में भूमि के अर्जन के पूर्व के 03 या more वर्षों तक निवास कर रहा कुटुंब जिसकी जीविका भूमि 'के अर्जन से प्रभावित हुई है।

A family residing in urban areas for 03 or more years prior to the acquisition of the land whose livelihood has been affected by the acquisition of the land.

धारा-3 (d) - कृषि भूमि

Section-3 (d) - Agricultural Land

(i) कृषि या उद्यान भूमि (बागवानी)

Agricultural or Garden Land (Horticulture)

(ii) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन उद्योग, मत्स्यपालन, रेशम , उत्पादन, बीज की खेती प्रजनन के लिए पशुधन या नर्सरी में औषधीय जड़ी-बूटियों का उगाना.

Dairy industry, poultry farming industry, fisheries, silk production, seed farming, livestock for breeding or growing of medicinal herbs in nurseries.

(iii) फसलों, वृक्षों, घास या उद्यान उत्पाद के प्रयोजन के लिए भूमि

Land for the purpose of growing crops, trees, grass or horticultural produce

(iv) पशुओं के चारागाह के लिए भूमि /Land for grazing of animals

धारा-3 (i) - अर्जन की लागत (भूमि अधिग्रहण) में निम्नलिखित लागतें शामिल होंगी :

Section-3 (i) - Cost of acquisition (land acquisition) will include the following costs:

1. प्रतिकर अथवा मुआवजा की रकम / लागत

Amount/Cost of compensation

2. भूमि पर खड़ी फसलों को हुआ नुकसान की लागत

Cost of damage to standing crops on the land

3. प्रभावित कुटुम्बों के पुर्नवासन के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत

Cost of acquisition of land and building for rehabilitation of affected families

4. पुर्नवासन क्षेत्र में अवसंरचना और सुख-सुविधाओं के विकास की लागत

Cost of development of infrastructure and amenities in the rehabilitation area

5. LARR - Act के प्रावधानों के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन की लागत

Cost of rehabilitation and resettlement under the provisions of LARR - Act

6.

(a) प्रशासनिक खर्च की लागत (प्रतिकर से अधिक नहीं होना चाहिए) / **Cost of administrative expenses (should not exceed compensation)**

(b) प्रशासनिक खर्च / **Administrative expenses**

vii. सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करने का खर्च
Cost of conducting social impact assessment study

सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन (SIA), 1970 के दशक में अमेरिका में इसका उदय होता है। जब USA में पर्यावरण समाधात अध्ययन (EIA) शुरू हुआ।

Social Impact Assessment Study (SIA) emerged in the US in the 1970s when Environmental Impact Assessment (EIA) was introduced in the USA.

(SIA = Social Impact Assessment Study)

धारा - 3 (k) → विस्थापित कुटुम्ब की परिभाषा

Section - 3 (k) → Definition of displaced family

धारा-3 (L)

धारा-3 (m) - कुटुम्ब की परिभाषा

Section-3 (m) - Definition of family

इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति, उस पर आश्रित पति या पत्नी, अवयस्क संतान, अवयस्क भाई और बहन

Under this, any such person, his dependent husband or wife, minor children, minor brothers and sisters,

विधवा, तलाक शुदा स्त्री, कुटुम्बों द्वारा त्यागी गयी स्त्री को पृथक कुटुंब माना जायेगा।

widow, divorced woman, woman abandoned by the family will be considered as a separate family.

⇒ वयस्क व्यक्ति को भी पृथक कुटुम्ब माना जायेगा।

Adult person will also be considered as a separate family.

धारा-3(n) भू- धृति (Land tenure)

किसी व्यक्ति के अधिकार में कुल भूमि को उस व्यक्ति की भू-धृति कहा जाता है।

The total land in the possession of a person is called the land tenure of that person.

धारा-3 (t) → सीमान्त कृषक /Marginal Farmer

धारा 3 (ze) → छोटा कृषक /Small Farmer

अध्याय - 02 /Chapter - 02

**सामाजिक समाधात व लोक प्रयोजन का अवधारण
/Determination of Social Impact and Public
Purpose**

**धारा - 4→ सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन का तैयार
किया जाना**

**Section - 4→ Preparation of Social Impact
Assessment Study**

1. जब भी समूचित सरकार किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करेगी, तो प्रभावित क्षेत्र में ग्राम पंचायत " या नगर पालिका की सहमति से या परामर्श से सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करायेगी ।

Whenever the appropriate government acquires land for any public purpose, it will conduct a Social Impact Assessment Study in the affected area with the consent or consultation of the Gram Panchayat or Municipality.

2. SIA की अधिसूचना कलेक्टर, उप कलेक्टर, तहसील आदि कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध करायी जायेगी व सरकार website पर भी upload करायी जायेगी।

The notification of SIA will be made available in the local language in the offices of Collector, Sub-Collector, Tehsil etc. and will also be uploaded on the government website.

3. पंचायत, ग्रामसभा, नगरपालिका या नगरनिगम आदि ' के प्रतिनिधि को SIA की प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व, दिया जायेगा। / **he representative of Panchayat, Gram Sabha, Municipality or Municipal Corporation etc. will be given proper representation in the process of SIA.**

4. SIA की प्रक्रिया प्रारंभ की तारीख से 06 माह के अन्दर पूरी की जायेगी।/ **The process of SIA will be completed within 06 months from the date of commencement.**

5. SIA की रिपोर्ट धारा -06 के अनुसार जन साधारण उपलब्ध करायी जायेगी।

The report of SIA will be made available to the general public as per Section-06.

6. SIA अध्ययन में निम्नलिखित मामले शामिल किये जायेंगे:-

The following matters will be included in the SIA study

(i) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रस्तावित अर्जुन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।

Determination of whether the proposed acquisition serves a public purpose.

ii) प्रभावित कुटुम्ब तथा विस्थापित कुटुम्ब की संख्या का आकलन

Assessment of the number of affected and displaced families.

iii) ऐसी सभी सार्वजनिक व प्राइवेट भूमि, मकानों, अन्य सम्पत्तियों कि सीमा का निर्धारण जो प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित होगी। /**Determination of the extent of all public and private land, houses, other properties which will be affected by the proposed land acquisition.**

iv) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि, उस परियोजना के लिए यथाथि न्यूनतम सीमा तक की है।

Whether the land proposed for acquisition is up to the minimum limit for the project.

v) क्या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण का विचार किया गया था और उसे क्यों नहीं ठीक / सही पाया गया था। / **Whether land acquisition at any other alternative location was considered and why it was not found suitable/appropriate.**

vi) परियोजना के सामाजिक समाधात व उनको ठीक करने का खर्च / **Social impacts of the project and the cost of their mitigation.**

यदि किसी परियोजना में पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन किया जाना है तो वह SIA के साथ - साथ किया जायेगा तथा SIA के पूरा होने पर निर्भर नहीं करेगा।

If an environmental impact assessment study is to be conducted in a project, it will be done simultaneously with the SIA and wil

⇒ **SIA** करने वाला अधिकारी समाघात को ठीक करने के लिए अपनाये जाने वाले सुधारों की एक सूची तैयार करेगा जिसे सामाजिक समाघात प्रबद्ध योजना कहा जायेगा।

The officer conducting the SIA will prepare a list of improvements to be adopted to mitigate the impact, which will be called the Social Impact Assessment Plan.

धारा -05 ⇒ सामाजिक समाघात के लिए लोक सुनवाई प्रभावित कुटुम्बों का मत लेने के लिए निर्धारित तारीख व स्थान पर समुचित सरकार लोक सुनवाई का प्रबंध करेगी।

Section -05 ⇒ Public hearing for social impact affected The appropriate government will arrange for a public hearing on the prescribed date and place to take the opinion of the families.

धारा - 06 ⇒ सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन

Section - 06 ⇒ Publication of Social Impact Assessment Study

धारा - 07 ⇒ SIA रिपोर्ट का विशेषक समूह द्वारा अंकन (जाँच करने का प्रावधान)

Section - 07 ⇒ Marking of SIA Report by Expert Group (Provision for scrutiny)

SIA Report के मूल्यांकन हेतु expert group में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

The expert group will have the following persons for evaluation of SIA Report:

(a) दो गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक / Two non-government social scientists

(b) पंचायत, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर निगम के 02 प्रतिनिधि कुल - 07 / 02 representatives of Panchayat, Gram Sabha, Municipality or Municipal Corporation Total – 07

(c) पुनर्व्यवस्थापन - संबंधी दो व्यक्ति

Two persons related to rehabilitation

(d) परियोजना से संबंधी एक तकनीकी विशेषज्ञ

One technical expert related to the project

⇒ यदि विशेषज्ञ समूह माने कि परियोजना से लोक प्रयोजन पूरा नहीं होता या लाभ कम है, तो 2 माह में कारण सहित परियोजना छोड़ने की सिफारिश होगी।

→ सरकार चाहे तो विशेषज्ञ समूह की राय के विपरीत भी भूमि अर्जन की कार्यवाही कर सकती है।

If the government wishes, it can initiate action for land acquisition even contrary to the opinion of the expert group.

⇒ विशेषज्ञ समूह परियोजना के पक्ष में भी अपनी राय 02 माह के अन्दर दे सकता है।

The expert group can also give its opinion in favour of the project within 02 months

धारा-08 ⇒ समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन संबंधी प्रस्थापनाओं की और सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट की परीक्षा

Section-08 ⇒ Examination of proposals for land acquisition and social impact assessment report by appropriate government

(i) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी :

Appropriate government shall ensure:

a. क्या प्रस्तावित अर्जन विधि सम्मत तथा सद्भाविक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

Whether the proposed acquisition is necessary for a lawful and bona fide public purpose.

b. क्या उस भूमि अर्जन के फायदे प्रतिकूल सामाजिक समाधात की तुलना में अधिक है।

Whether the benefits of such land acquisition outweigh the adverse social impact.

c. क्या प्रयोजना हेतु न्यूनतम क्षेत्र के अर्जन का प्रस्ताव किया गया है।

Whether minimum area has been proposed to be acquired for the purpose.

d. क्या पहले से अर्जित कोई ऐसी भूमि उपलब्ध है जिसको अभी तक उपयोग में नहीं लिया गया है।

Whether any such land is already acquired which has not been put to use yet.

e. ऐसी अनुपयोगी भूमि को प्रस्तावित परियोजना के लिए देने की सिफारिश

Recommendation to give such unused land for the proposed project

ii) कोई निर्णय लेने से पहले सरकार कलेक्टर एवं SIA विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर भी विचार करेगी।

Before taking any decision, the government shall also consider the report of the Collector and the SIA Expert Group.

⇒ ऐसी सभी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समूचित सरकार, ऐसे क्षेत्र के भूमि अर्जन की सिफारिश करेगी जिसमें

After considering all such reports, the appropriate government shall recommend land acquisition in such area in which

→ लोगों का न्यूनतम विस्थापन / **Minimum displacement of people**

→ अवसंरचना / **Infrastructure**

→ पारिस्थितिकी / **Ecology**

→ प्रभावित व्यक्तियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े / **Minimal impact on affected individuals**

(iii) सरकार का निर्णय स्थानीय सरकारी कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जायेगा। /**The decision of the government will be made available in the local government offices in the local language.**

धारा - 09 ⇒ सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन है छुट (SIA)

Section - 09 ⇒ Exemption from Social Impact Assessment Study (SIA)

जहाँ धारा - 40 के अधीन भूमि का अर्जन अति आवश्यक एवं आपातकालीन है वहाँ समुचित सरकार SIA से छूट दे सकेगी। **/Where the acquisition of land under Section - 40 is very necessary and emergency, the appropriate government may exempt from SIA.**

अध्याय - 03 /Chapter - 03

धारा - 10 - खाद्य सुरक्षा के रक्षा हेतु उपाय /Section - 10 - Measures to protect food security

(1) इस अधिनियम के अधीन सिंचित बहु - फसली भूमि का अर्जन नहीं किया जायेगा। (अपवाद छोड़कर)

Irrigated multi-crop land will not be acquired under this Act. (Except exceptions)

(2) सिंचित बहु-फसली भूमि का अधिग्रहण अपवाद के तौर पर अंतिम उपाय के रूप में ही किया जायेगा।

Irrigated multi-crop land will be acquired only as an exception and as a last resort.

(3) यदि सिंचित बहु-फसली भूमि का अर्जन होना भी है तो निम्न परिस्थितियों में किया जायेगा

If irrigated multi-crop land is to be acquired, it will be done under the following conditions

(a) अर्जित सिंचित बहुफसली भूमि के बराबर खेती योग्य बंजर भूमि कृषि हेतु विकसित की जाएगी।

Cultivable wasteland equal to the acquired irrigated multi-crop land will be developed for agriculture.

(b) सिंचित बहुफसली भूमि के बदले समान मूल्य की राशि सरकार के पास जमा होगी, जिसका उपयोग खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में होगा।

In lieu of irrigated multi-crop land, an amount of equal value will be deposited with the government, which will be used to increase food security.

4) कृषि भूमि का अर्जित किया क्षेत्र, शुद्ध बुआई क्षेत्र से अधिक नहीं होगा।

The area of agricultural land acquired will not exceed the net sown area.

(5) दीर्घकालीन परियोजनाएँ (जैसे रेल, राज्यमार्ग, जिला सड़क, नहर, विद्युत लाइन) पर धारा 10 लागू नहीं होगी।

Section 10 will not apply to long-term projects (such as railway, state highway, district road, canal, power line).

अध्याय - 04

अधिसूचना और अर्जुन / Notification and Arjun

धारा-11 ⇒ प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा तदोपरांत अधिकारियों की शक्तियाँ

Section-11 ⇒ Publication of preliminary notification and powers of officers thereafter

(i) समूचित सरकार द्वारा किसी क्षेत्र की भूमि (ग्रामीण या शहरी), लोक प्रयोजन हेतु, अर्जित किये जाने की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन

Publication of preliminary notification of acquisition of land (rural or urban) of any area by the appropriate government for public purpose

→ यह अधिसूचना निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित की जायेगी /**This notification will be published in the following manner**

(a) राजपत्र या अधिकारी गजट में (**official gazette**) /**In the Gazette or official gazette**

(b) दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में (1स्थानीय भाषा में) /**In two local daily newspapers (in local language)**

(c) पंचायत अथवा नगर पालिका या नगरनिगम, कलेक्टर, SDM, तहसील आदि कार्यालयों में स्थानीय भाषा में /In the offices of Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, Collector, SDM, Tehsil etc. in local language

(d) समुचित सरकार website पर /On the appropriate government website

(e) प्रभावित क्षेत्रों में किसी अन्य रीति से /In any other manner in the affected areas

(ii) प्रारम्भिक अधिसूचना जारी किये जाने के बाद, पंचायत अथवा नगर पालिका आदि में बैठक द्वारा ऐसे अधिग्रहण के विषय में सूचित किया जायेगा। **/After the preliminary notification is issued, the Panchayat or Municipality etc. will be informed about such acquisition by a meeting.**

(iii) अधिसूचना में लोक प्रयोजन, विस्थापन के कारण, सामाजिक प्रभाव आकलन का सारांश व पुनर्वासन प्रशासक का कथन जनता को बताया जाएगा तथा ऐसी अधिसूचना में भी दर्ज होगा।

The notification shall state the public purpose, reasons for displacement, summary of social impact assessment and statement of rehabilitation administrator to the public and shall also be recorded in such notification.

iv) प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से भूमि से जुड़े लेन-देन/क्रय-विक्रय प्रतिबंधित होंगे।

Transactions/purchase-sale of land shall be prohibited from the date of preliminary notification.

* कलेक्टर द्वारा भूमि के स्वामी के आवेदन पर ऐसा करने की छूट दी जा सकती है।

The Collector may grant exemption to do so on the application of the land owner.

(v) प्रारंभिक अधिसूचना के बाद व धारा 19 की घोषणा से पहले, कलेक्टर 2 माह में भूमि से जुड़े दस्तावेज अपडेट करेगा। कार्य कलेक्टर अपने हाथों में लेगा और उसे पूरा करेगा।

After the preliminary notification and before the declaration of section 19, the Collector shall update the documents related to the land within 2 months. The Collector shall take the work in his hands and complete it.

धारा-12 ⇒ भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण और अधिकारियों की सर्वेक्षण शक्ति

Section-12 ⇒ Preliminary survey of land and survey power of officers

सर्वेक्षण करने से पहले भू- स्वामी को 60 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।

It is necessary to give 60 days prior notice to the land owner before conducting the survey.

रहने के स्थान में प्रवेश करने के लिए 07 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य है।

07 days prior notice is mandatory for entering the living place.

धारा-13 ⇒ किसी भी प्रकार के नुकासान के लिए क्षति पूर्ति
Section-13 ⇒ Compensation for any kind of loss

धारा -14 ⇒ SIA रिपोर्ट का व्यपगत होना (lapse)
Section-14 ⇒ Lapse of SIA Report

⇒ यदि धारा 7 की विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट के 12 माह के भीतर धारा 11 की अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो SIA रिपोर्ट निरस्त मानी जाएगी।

If the notification under Section 11 is not issued within 12 months of the Expert Group Report under Section 7, the SIA Report shall be deemed to be cancelled.

⇒ परन्तु समुचित सरकार इस 12 माह की अवधि को चाहे तो बढ़ा सकती है।

However, the appropriate government may extend this period of 12 months if it so wishes.

धारा – 15- आक्षेपों की सुनवाई (objections)

Section – 15 – Hearing of objections

1. भूमि अर्जन से हितबद्ध व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के 60 दिन के भीतर निम्नलिखित बिन्दुओं पर लिखित आपत्ति कलेक्टर को स्वयं, प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से दे सकता है।

A person interested in land acquisition may, within 60 days of the initial notification, submit written objections to the Collector in person, through a representative or through a lawyer on the following points.

(a) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति

Regarding the area and suitability of the land proposed to be acquired

(b) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति
/Regarding the justification given for public purpose

(c) SIA Report के निष्कर्षों के प्रति

Regarding the findings of the SIA Report

⇒ हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा दाखिल आक्षेपों पर समुचित सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

The decision of the appropriate government on the objections filed by the interested persons shall be final.

धारा-16 ⇒ प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना

Section-16 ⇒ Preparation of rehabilitation and resettlement scheme by the administrator

धारा-16 के तहत बनी स्कीम का Review, कलेक्टर द्वारा धारा - 45 के तहत परियोजना स्तर पर गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समीति के द्वारा किया जायेगा।

The scheme prepared under section-16 will be reviewed by the rehabilitation and resettlement committee constituted at the project level by the collector under section-45.

कलेक्टर पुनर्वासिन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को अपने सुझावों सहित पुनर्वासिन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (Commissioner) को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

The collector will submit the rehabilitation and resettlement scheme along with its suggestions to the rehabilitation and resettlement commissioner for approval.

धारा-17 ⇒ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का पुनर्विलोक (Review)

Section-17 ⇒ Review of rehabilitation and resettlement scheme

धारा-18 ⇒ अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार्वजनिक किया जाना

Section-18 ⇒ Publication of approved rehabilitation and resettlement scheme

धारा-19 ⇒ पुनर्वासिन तथा पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार का प्रकाशन कलेक्टर द्वारा

Section-19 ⇒ Publication of declaration and summary of rehabilitation and resettlement By the collector

⇒ ऐसी घोषणा तब तक नहीं की जायेगी जब तक भूमि अर्जन करने वाली संस्था भूमि अर्जन की रकम अंशतः या पूर्णतया जमा नहीं कर देगी।

Such declaration will not be made until the land acquiring institution has deposited the land acquisition amount either partially or fully.

⇒ धारा-19 के तहत की गयी घोषणा, प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख के 12 माह के भीतर की जायेगी।

Declaration made under section-19 shall be made within 12 months from the date of preliminary notification.

धारा - 21 ⇒ हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना

Section - 21 ⇒ Information to interested persons

(1) कलेक्टर द्वारा अर्जन किये जाने वाली भूमि से संबंधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित की सूचना दिया जाना

The Collector shall give information to all interested persons related to the land to be acquired about the following:

कब्जा लेने के आशय की सूचना / Information about the intention to take possession

किसी प्रकार के प्रतिकर या मुआवजे का दावा कलेक्टर को किया जाए इसकी सूचना

Information about any kind of compensation or compensation claim to be made to the Collector

किसी प्रकार का पुनर्वासन दावा कलेक्टर को किया जाए इसकी सूचना

Information about any kind of rehabilitation claim to be made to the Collector

ऐसी सूचना को website, अर्जित भूमि तथा अर्जित भूमि के निकट स्थानों पर भी प्रकाशित करायेगा।

Such information shall also be published on the website, on the acquired land and at places near the acquired land.

सूचना के प्रकाशन से 30 दिन से 6 माह के भीतर, दावा कलेक्टर के समक्ष व्यक्ति स्वयं, एजेंट या वकील के साथ प्रस्तुत करेगा।/ **Within 30 days to 6 months from the publication of the notice, the claim shall be presented before the Collector by the person himself, with an agent or lawyer.**

ऐसा दावा लिखित रूप में हितबद्ध व्यक्ति या उसके **Agent**
- द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जायेगा।

**Such a claim shall also be made in writing signed
by the interested person or his agent.**

यदि हितबद्ध व्यक्ति कहीं और रहता है, तो कलेक्टर सूचना उसके अंतिम पते/कारोबार स्थल पर भेजेगा और कम से कम 2 राष्ट्रीय अखबारों व वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

If the interested person resides elsewhere, the Collector shall send the notice to his last address/place of business and publish it in at least 2 national newspapers and on the website.

धारा -23 ⇒ कलेक्टर द्वारा जाँच और भूमि अर्जन अधिनिर्णय

Section -23 ⇒ Investigation and Land Acquisition Award by the Collector

धारा - 24 ⇒ कुछ मामलों में 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया का व्यपगत हुआ समझा जाना

Section - 24 ⇒ In certain cases, the process of land acquisition under the Land Acquisition Act of 1894 shall be deemed to have lapsed

1. जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन को अधिनिर्णय नहीं किया गया है, वहाँ प्रतिकर या मुआवजे से संबंधित लार - Act के प्रावधान लागू होंगे।

Where the award has not been made under the said Land Acquisition Act, the provisions of the Act relating to compensation shall be applicable.

2. यदि अधिनिर्णय हो गया है तो 1894 का Act ही लागू माना जायेगा।

If the award has been made, the Act of 1894 shall be deemed to be applicable.

यदि 1 जनवरी 2014 से 5 वर्ष पूर्व अधिनिर्णय हुआ पर भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया, तो कार्यवाही निरस्त मानी जाएगी।

If the award is made 5 years before 1st January 2014 but physical possession of the land is not taken, the proceedings will be deemed to be cancelled.

यदि मुआवजा नहीं दिया गया है, तो पुराना Act निष्प्रभावी होगा और भूमि अर्जन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी।

If compensation is not paid, the old Act will be ineffective and the process of land acquisition will have to be started afresh.

जहाँ अधिनिर्णय किया गया है परन्तु मुआवजा अधिकतर लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, ऐसे में भी सभी प्रभावित व्यक्ति LARR Act के प्रावधानों के तहत मुआवजे के हकदार होंगे।

Where the award has been made but the compensation has not been credited to the accounts of most of the beneficiaries, even then all the affected persons will be entitled to compensation under the provisions of the LARR Act.

धारा - 25 ⇒ वह अवधि, जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा

Section - 25 ⇒ Period within which the award will be made

कलेक्टर को धारा 19 की घोषणा से 12 माह के भीतर अधिनिर्णय करना होगा; अन्यथा भूमि अर्जन की सारी प्रक्रिया निरस्त मानी जाएगी।

The Collector has to make the decision within 12 months from the date of declaration under Section 19; otherwise the entire process of land acquisition will be deemed to be cancelled.

धारा - 26 ⇒ कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण

Section - 26 ⇒ Determination of market value of land by the Collector

1. निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर / Based on the following criteria:

(a) उस क्षेत्र में, भूमि का बाजार मूल्य, जो बैनामे, रजिस्ट्री के अनुसार भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में दिया गया है

Market value of land in that area, as per the agreement, registry, as given in the Indian Stamp Act 1899

(b) निकटवर्ती ग्राम या क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत

Average selling price for similar land situated in the nearby village or area

(c) प्राइवेट कम्पनी या पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के मामले में आपसी सहमति से तय की गयी मुआवजे की रकम

Amount of compensation mutually decided in case of land acquisition for a private company or public private partnership project

इन तीनों में से जो भी अधिक हो।

Whichever is higher of these three.

बाजार मूल्य अवधारण की तारीख धारा-11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख मानी जायेगी।

The date of determination of market value shall be considered as the date of preliminary notification under Section-11.


बाजार मूल्य निकालने के बाद पहली अनुसूची केनुसार कारक से गुणा किया जायेगा।

After arriving at the market value, it shall be multiplied by the factor as per the first schedule.

यदि ऐसी स्थिति बनती है कि भूमि अर्जन करने वाली संस्था मुआवजे के हिस्से के रूप में शेयर देगी, तो वह भूमि के बाजार मूल्य के 25% से अधिक नहीं होंगे और भू-स्वामी शेयर लेने को बाध्य नहीं होगा।

If a situation arises that the institution acquiring the land will give shares as part of compensation, then it will not exceed 25% of the market value of the land and the landowner will not be forced to take the shares.

* धारा: 2 - अधिनियम का लागू होना ^{DD}
 Section: 2 - Application of the Act



LIVE

EXAMER

* Section / धारा : 2 (1)

→ भारत की रक्षा, सुरक्षा, पुनर्निर्माण

अवसंरचना : रोड, रेलवे,

बंदरगाह, पुल

भूमि अर्जन - समुचित सरकार द्वारा

आदि

आधारिक

आ. सि. 15/14 15/12

a - सामरिक प्रयोजन / Strategic purpose
b - निम्न अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट / Following infrastructure projects

→ 2012 में

→ वित्त मंत्रालय

i. आर्थिक कार्य विभाग / Department of Economic Affairs → यापूर्वक होटल, शिक्षा संस्थान, यापूर्वक होटल

ii. कोल्ड स्टोर आदि / Cold storage etc.

iii. कॉरिडॉर / Corridor

→ (कृषि)

→ के आलावा

iv. सिंचाई / Irrigation (नहर)

v. शैक्षणिक इकाई / Educational Unit (सरकारी)

vi. क्रीड़ा, परिवहन, अंतरिक्ष / Sports, Transport, Space, सेवाएँ, पर्यटन

vii. अन्य / Others, जल संरक्षण, स्वच्छता

c. प्रभावित कुटुंबो - योजना / Affected Family Scheme

d. गृह निर्माण / Housing → कम आय वाले

धारा: 16 क 9

धारा - 03 ⇒ परिभाषाएं

Section - 03 ⇒ Definitions

निष्कर्ष: संयुक्त कलेक्टर /
अतिरिक्त कलेक्टर /
सहायक कलेक्टर

* धारा-3 (a) - प्रशासक की परिभाषा

Section-3 (a) - Definition of Administrator

वहन

पुनर्वसि & पुनर्वास-समापन

प्रीजन नैयार

करना

Rehabilitation & Resettlement Schemes

मुआवजा / प्रतिकर आदि प्रावधानों को लागू करने वाला अधिकारी (सामान्य तौर पर जिला कलेक्टर)

Officer implementing provisions of compensation/compensation etc. (Generally District Collector)

सामान्य:

रैला कोर

पाँरवार, जाँ

उल क्षेत्र में एल

भूमि माध्यम

*

धारा - 3 (c) - प्रभावित कुटुंब की परिभाषा

Section - 3 (c) - Definition of affected family

प्रभावित कुटुंब के अन्तर्गत निम्नलिखित आयेगे-

The following will come under the affected family-

→ गृ-स्वामी / Land owner ✓

→ किराये पर किराया भूमि पर खेती करता है

→ जमान - पर - सन्धि

→ क्षेत्र - जाँवका

→ यहाँ प्रभावित हुआ है

पाँरवार

(i) ऐसा कोई कुटुंब जिसकी भूमि या ^{अचल} अन्य स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है।

Any family whose land or other immovable property has been acquired.

(ii) ऐसा कुटुंब जिसके पास अपनी भूमि (मालिकाना हक) नहीं है, लेकिन कोई सदस्य श्रमिक, किरायेदार, बटाईदार या अन्य अधिकार से भूमि से जुड़ा हो।

A family which does not own the land (as owner) but any member is associated with the land as a labourer, tenant, share-cropper or in any other right.

3 वर्ष

अथवा जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, अधिग्रहण की तारीख से 03 वर्ष पहले तक उस भूमि पर कार्य कर रहे हो तथा जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित हो गया है।

Or has been working on the land which is to be acquired, till 03 years before the date of acquisition and whose main source of livelihood has been affected by the acquisition of land.

(iii) ऐसी अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारम्परिक वन निवासी जिन्होंने भूमि के अर्जन से अपने किसी भी वन्य अधिकार को खो दिया है।

Scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights due to the acquisition of land.

(iv) ऐसा कुटुंब जिसकी जीविका भूमि अर्जन से 3 वर्ष पूर्व तक वन या जल संसाधनों पर आधारित रही हो, जैसे – वन उपज बटोरने वाले, शिकारी, मछुआरे और केवट आदि।

A family whose livelihood was dependent on forest or water resources during the period three years prior to land acquisition, such as forest gatherers, hunters, fishermen, boatmen, etc.

(v) ऐसा कोई कुटुंब जिसे केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी योजना के तहत कोई भूमि सौंपी गयी थी और उस भूमि का अब अधिग्रहण होना है। / **Any family to which any land was allotted by the Central or State Government under any scheme and that land is now to be acquired.**

(vi) नगरीय क्षेत्रों में भूमि के अर्जन के पूर्व के 03 या more वर्षों तक निवास कर रहा कुटुंब जिसकी जीविका भूमि 'के अर्जन से प्रभावित हुई है।

A family residing in urban areas for 03 or more years prior to the acquisition of the land whose livelihood has been affected by the acquisition of the land.

धारा-3 (d) - कृषि भूमि

Section-3 (d) - Agricultural Land

कृषि
भूमि

कृषि, कृषि, कृषि

(i) कृषि या उद्यान भूमि (बागवानी)

Agricultural or Garden Land (Horticulture)

(ii) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन उद्योग, मत्स्यपालन, रेशम,
उत्पादन, बीज की खेती प्रजनन के लिए, पशुधन या नर्सरी में
औषधीय जड़ी-बूटियों का उगाना.

**Dairy industry, poultry farming industry, fisheries,
silk production, seed farming, livestock for
breeding or growing of medicinal herbs in
nurseries.**

(iii) फसलों, वृक्षों, घास या उद्यान उत्पाद के प्रयोजन के लिए भूमि

Land for the purpose of growing crops, trees, grass or horticultural produce

(iv) पशुओं के चारागाह के लिए भूमि /Land for grazing of animals

धारा-3 (i) - अर्जन की लागत (भूमि अधिग्रहण) में निम्नलिखित लागतें शामिल होंगी :

Section-3 (i) - Cost of acquisition (land acquisition) will include the following costs:

1. प्रतिकर अथवा मुआवजा की रकम / लागत

Amount/Cost of compensation

2. भूमि पर खड़ी फसलों को हुआ नुकसान की लागत

Cost of damage to standing crops on the land

3. प्रभावित कुटुम्बों के पुर्नवासन के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत

Cost of acquisition of land and building for rehabilitation of affected families

4. पुर्नवासन क्षेत्र में अवसंरचना और सुख-सुविधाओं के विकास की लागत

Cost of development of infrastructure and amenities in the rehabilitation area

5. LARR - Act के प्रावधानों के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन की लागत

Cost of rehabilitation and resettlement under the provisions of LARR - Act

6.

(a) प्रशासनिक खर्च की लागत (प्रतिकर से अधिक नहीं होना चाहिए) / **Cost of administrative expenses (should not exceed compensation)**

(b) प्रशासनिक खर्च / **Administrative expenses**

vii. सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करने का खर्च
Cost of conducting social impact assessment study

****** सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन (SIA), 1970 के दशक में अमेरिका में इसका उदय होता है। जब USA में पर्यावरण समाधात अध्ययन (EIA) शुरू हुआ।

Social Impact Assessment Study (SIA) emerged in the US in the 1970s when Environmental Impact Assessment (EIA) was introduced in the USA.

(SIA = Social Impact Assessment Study)

[SIA]

* धारा - 3 (k) → विस्थापित कुटुम्ब की परिभाषा

Section - 3 (k) → Definition of displaced family

धारा-3 (L)

* धारा-3 (m) - कुटुम्ब की परिभाषा

Section-3 (m) - Definition of family

* वयस्क / Adult / वयस्क

उत्पन्न परिवार /
L

कुटुम्ब माना जाता है /

इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति, उस पर आश्रित पति या पत्नी, अवयस्क संतान, अवयस्क भाई और बहन

Under this, any such person, his dependent husband or wife, minor children, minor brothers and sisters,

विधवा, तलाक शुदा स्त्री, कुटुम्बों द्वारा त्यागी गयी स्त्री को पृथक कुटुंब माना जायेगा।

widow, divorced woman, woman abandoned by the family will be considered as a separate family.

⇒ वयस्क व्यक्ति को भी पृथक कुटुम्ब माना जायेगा।

Adult person will also be considered as a separate family.

* धारा-3(n) भू- धृति (Land tenure)

किसी व्यक्ति के अधिकार में कुल भूमि को उस व्यक्ति की भू-धृति कहा जाता है।


The total land in the possession of a person is called the land tenure of that person.

Irrigated

un-irrigated

सिंचित

असिंचित



अधिकतम



धारा-3 (t) → सीमान्त कृषक / Marginal Farmer

धारा 3 (ze) → छोटा कृषक / Small Farmer

* सिंचित → 1 एक हेक्टर तक

* असिंचित → 2 एक हेक्टर तक

अध्याय - 02 /Chapter - 02

सामाजिक समाधात व लोक प्रयोजन का अवधारण
/Determination of Social Impact and Public
Purpose

धारा - 4 → सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन का तैयार
किया जाना

Section - 4 → Preparation of Social Impact
Assessment Study

1. जब भी समूचित सरकार किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करेगी, तो प्रभावित क्षेत्र में ग्राम पंचायत " या नगर पालिका की सहमति से या परामर्श से सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करायेगी ।

Whenever the appropriate government acquires land for any public purpose, it will conduct a Social Impact Assessment Study in the affected area with the consent or consultation of the Gram Panchayat or Municipality.

2. SIA की अधिसूचना कलेक्टर, उप कलेक्टर, तहसील आदि कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध करायी जायेगी व सरकार website पर भी upload करायी जायेगी।

The notification of SIA will be made available in the local language in the offices of Collector, Sub-Collector, Tehsil etc. and will also be uploaded on the government website.

3. पंचायत, ग्रामसभा, नगरपालिका या नगरनिगम आदि ' के प्रतिनिधि को SIA की प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व, दिया जायेगा। / **he representative of Panchayat, Gram Sabha, Municipality or Municipal Corporation etc. will be given proper representation in the process of SIA.**

4. SIA की प्रक्रिया प्रारंभ की तारीख से 06 माह के अन्दर पूरी की जायेगी।/ **The process of SIA will be completed within 06 months from the date of commencement.**

5. SIA की रिपोर्ट धारा -06 के अनुसार जन साधारण उपलब्ध करायी जायेगी।

The report of SIA will be made available to the general public as per Section-06.

6. SIA अध्ययन में निम्नलिखित मामले शामिल किये जायेंगे:-

The following matters will be included in the SIA study

(i) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रस्तावित अर्जुन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।

Determination of whether the proposed acquisition serves a public purpose.

ii) प्रभावित कुटुम्ब तथा विस्थापित कुटुम्ब की संख्या का आकलन

Assessment of the number of affected and displaced families.

iii) ऐसी सभी सार्वजनिक व प्राइवेट भूमि, मकानों, अन्य सम्पत्तियों कि सीमा का निर्धारण जो प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित होगी। /**Determination of the extent of all public and private land, houses, other properties which will be affected by the proposed land acquisition.**

iv) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि, उस परियोजना के लिए यथाथि न्यूनतम सीमा तक की है।

Whether the land proposed for acquisition is up to the minimum limit for the project.

v) क्या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण का विचार किया गया था और उसे क्यों नहीं ठीक / सही पाया गया था। / **Whether land acquisition at any other alternative location was considered and why it was not found suitable/appropriate.**

vi) परियोजना के सामाजिक समाधात व उनको ठीक करने का खर्च / **Social impacts of the project and the cost of their mitigation.**

यदि किसी परियोजना में पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन किया जाना है तो वह SIA के साथ - साथ किया जायेगा तथा SIA के पूरा होने पर निर्भर नहीं करेगा।

If an environmental impact assessment study is to be conducted in a project, it will be done simultaneously with the SIA and wil

⇒ **SIA** करने वाला अधिकारी समाघात को ठीक करने के लिए अपनाये जाने वाले सुधारों की एक सूची तैयार करेगा जिसे सामाजिक समाघात प्रबद्ध योजना कहा जायेगा।

The officer conducting the SIA will prepare a list of improvements to be adopted to mitigate the impact, which will be called the Social Impact Assessment Plan.

धारा -05 ⇒ सामाजिक समाघात के लिए लोक सुनवाई प्रभावित कुटुम्बों का मत लेने के लिए निर्धारित तारीख व स्थान पर समुचित सरकार लोक सुनवाई का प्रबंध करेगी।

Section -05 ⇒ Public hearing for social impact affected The appropriate government will arrange for a public hearing on the prescribed date and place to take the opinion of the families.

धारा - 06 ⇒ सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन

Section - 06 ⇒ Publication of Social Impact Assessment Study

धारा - 07 ⇒ SIA रिपोर्ट का विशेषक समूह द्वारा अंकन (जाँच करने का प्रावधान)

Section - 07 ⇒ Marking of SIA Report by Expert Group (Provision for scrutiny)

SIA Report के मूल्यांकन हेतु expert group में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

The expert group will have the following persons for evaluation of SIA Report:

(a) दो गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक / Two non-government social scientists

(b) पंचायत, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर निगम के 02 प्रतिनिधि कुल - 07 / 02 representatives of Panchayat, Gram Sabha, Municipality or Municipal Corporation Total – 07

(c) पुनर्व्यवस्थापन - संबंधी दो व्यक्ति

Two persons related to rehabilitation

(d) परियोजना से संबंधी एक तकनीकी विशेषज्ञ

One technical expert related to the project

⇒ यदि विशेषज्ञ समूह माने कि परियोजना से लोक प्रयोजन पूरा नहीं होता या लाभ कम है, तो 2 माह में कारण सहित परियोजना छोड़ने की सिफारिश होगी।

→ सरकार चाहे तो विशेषज्ञ समूह की राय के विपरीत भी भूमि अर्जन की कार्यवाही कर सकती है।

If the government wishes, it can initiate action for land acquisition even contrary to the opinion of the expert group.

⇒ विशेषज्ञ समूह परियोजना के पक्ष में भी अपनी राय 02 माह के अन्दर दे सकता है।

The expert group can also give its opinion in favour of the project within 02 months

धारा-08 ⇒ समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन संबंधी प्रस्थापनाओं की और सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट की परीक्षा

Section-08 ⇒ Examination of proposals for land acquisition and social impact assessment report by appropriate government

(i) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी :

Appropriate government shall ensure:

a. क्या प्रस्तावित अर्जन विधि सम्मत तथा सद्भाविक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

Whether the proposed acquisition is necessary for a lawful and bona fide public purpose.

b. क्या उस भूमि अर्जन के फायदे प्रतिकूल सामाजिक समाधात की तुलना में अधिक है।

Whether the benefits of such land acquisition outweigh the adverse social impact.

c. क्या प्रयोजना हेतु न्यूनतम क्षेत्र के अर्जन का प्रस्ताव किया गया है।

Whether minimum area has been proposed to be acquired for the purpose.

d. क्या पहले से अर्जित कोई ऐसी भूमि उपलब्ध है जिसको अभी तक उपयोग में नहीं लिया गया है।

Whether any such land is already acquired which has not been put to use yet.

e. ऐसी अनुपयोगी भूमि को प्रस्तावित परियोजना के लिए देने की सिफारिश

Recommendation to give such unused land for the proposed project

ii) कोई निर्णय लेने से पहले सरकार कलेक्टर एवं SIA विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर भी विचार करेगी।

Before taking any decision, the government shall also consider the report of the Collector and the SIA Expert Group.

⇒ ऐसी सभी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समूचित सरकार, ऐसे क्षेत्र के भूमि अर्जन की सिफारिश करेगी जिसमें

After considering all such reports, the appropriate government shall recommend land acquisition in such area in which

→ लोगों का न्यूनतम विस्थापन / **Minimum displacement of people**

→ अवसंरचना / **Infrastructure**

→ पारिस्थितिकी / **Ecology**

→ प्रभावित व्यक्तियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े / **Minimal impact on affected individuals**

(iii) सरकार का निर्णय स्थानीय सरकारी कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जायेगा। /**The decision of the government will be made available in the local government offices in the local language.**

धारा - 09 ⇒ सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन है छुट (SIA)

Section - 09 ⇒ Exemption from Social Impact Assessment Study (SIA)

जहाँ धारा - 40 के अधीन भूमि का अर्जन अति आवश्यक एवं आपातकालीन है वहाँ समुचित सरकार SIA से छूट दे सकेगी। **/Where the acquisition of land under Section - 40 is very necessary and emergency, the appropriate government may exempt from SIA.**

अध्याय - 03 /Chapter - 03

धारा - 10 - खाद्य सुरक्षा के रक्षा हेतु उपाय /Section - 10 - Measures to protect food security

(1) इस अधिनियम के अधीन सिंचित बहु - फसली भूमि का अर्जन नहीं किया जायेगा। (अपवाद छोड़कर)

Irrigated multi-crop land will not be acquired under this Act. (Except exceptions)

(2) सिंचित बहु-फसली भूमि का अधिग्रहण अपवाद के तौर पर अंतिम उपाय के रूप में ही किया जायेगा।

Irrigated multi-crop land will be acquired only as an exception and as a last resort.

(3) यदि सिंचित बहु-फसली भूमि का अर्जन होना भी है तो निम्न परिस्थितियों में किया जायेगा

If irrigated multi-crop land is to be acquired, it will be done under the following conditions

(a) अर्जित सिंचित बहुफसली भूमि के बराबर खेती योग्य बंजर भूमि कृषि हेतु विकसित की जाएगी।

Cultivable wasteland equal to the acquired irrigated multi-crop land will be developed for agriculture.

(b) सिंचित बहुफसली भूमि के बदले समान मूल्य की राशि सरकार के पास जमा होगी, जिसका उपयोग खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में होगा।

In lieu of irrigated multi-crop land, an amount of equal value will be deposited with the government, which will be used to increase food security.

4) कृषि भूमि का अर्जित किया क्षेत्र, शुद्ध बुआई क्षेत्र से अधिक नहीं होगा।

The area of agricultural land acquired will not exceed the net sown area.

(5) दीर्घकालीन परियोजनाएँ (जैसे रेल, राज्यमार्ग, जिला सड़क, नहर, विद्युत लाइन) पर धारा 10 लागू नहीं होगी।

Section 10 will not apply to long-term projects (such as railway, state highway, district road, canal, power line).

अध्याय - 04

अधिसूचना और अर्जुन / Notification and Arjun

धारा-11 ⇒ प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा तदोपरांत अधिकारियों की शक्तियाँ

Section-11 ⇒ Publication of preliminary notification and powers of officers thereafter

(i) समूचित सरकार द्वारा किसी क्षेत्र की भूमि (ग्रामीण या शहरी), लोक प्रयोजन हेतु, अर्जित किये जाने की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन

Publication of preliminary notification of acquisition of land (rural or urban) of any area by the appropriate government for public purpose

→ यह अधिसूचना निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित की जायेगी /**This notification will be published in the following manner**

(a) राजपत्र या अधिकारी गजट में (**official gazette**) /**In the Gazette or official gazette**

(b) दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में (1स्थानीय भाषा में) /**In two local daily newspapers (in local language)**

(c) पंचायत अथवा नगर पालिका या नगरनिगम, कलेक्टर, SDM, तहसील आदि कार्यालयों में स्थानीय भाषा में /In the offices of Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, Collector, SDM, Tehsil etc. in local language

(d) समुचित सरकार website पर /On the appropriate government website

(e) प्रभावित क्षेत्रों में किसी अन्य रीति से /In any other manner in the affected areas

(ii) प्रारम्भिक अधिसूचना जारी किये जाने के बाद, पंचायत अथवा नगर पालिका आदि में बैठक द्वारा ऐसे अधिग्रहण के विषय में सूचित किया जायेगा। /After the preliminary notification is issued, the Panchayat or Municipality etc. will be informed about such acquisition by a meeting.

(iii) अधिसूचना में लोक प्रयोजन, विस्थापन के कारण, सामाजिक प्रभाव आकलन का सारांश व पुनर्वासन प्रशासक का कथन जनता को बताया जाएगा तथा ऐसी अधिसूचना में भी दर्ज होगा।

The notification shall state the public purpose, reasons for displacement, summary of social impact assessment and statement of rehabilitation administrator to the public and shall also be recorded in such notification.

iv) प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से भूमि से जुड़े लेन-देन/क्रय-विक्रय प्रतिबंधित होंगे।

Transactions/purchase-sale of land shall be prohibited from the date of preliminary notification.

* कलेक्टर द्वारा भूमि के स्वामी के आवेदन पर ऐसा करने की छूट दी जा सकती है।

The Collector may grant exemption to do so on the application of the land owner.

(v) प्रारंभिक अधिसूचना के बाद व धारा 19 की घोषणा से पहले, कलेक्टर 2 माह में भूमि से जुड़े दस्तावेज अपडेट करेगा। कार्य कलेक्टर अपने हाथों में लेगा और उसे पूरा करेगा।

After the preliminary notification and before the declaration of section 19, the Collector shall update the documents related to the land within 2 months. The Collector shall take the work in his hands and complete it.

धारा-12 ⇒ भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण और अधिकारियों की सर्वेक्षण शक्ति

Section-12 ⇒ Preliminary survey of land and survey power of officers

सर्वेक्षण करने से पहले भू- स्वामी को 60 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।

It is necessary to give 60 days prior notice to the land owner before conducting the survey.

रहने के स्थान में प्रवेश करने के लिए 07 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य है।

07 days prior notice is mandatory for entering the living place.

धारा-13 ⇒ किसी भी प्रकार के नुकासान के लिए क्षति पूर्ति
Section-13 ⇒ Compensation for any kind of loss

धारा -14 ⇒ SIA रिपोर्ट का व्यपगत होना (lapse)
Section-14 ⇒ Lapse of SIA Report

⇒ यदि धारा 7 की विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट के 12 माह के भीतर धारा 11 की अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो SIA रिपोर्ट निरस्त मानी जाएगी।

If the notification under Section 11 is not issued within 12 months of the Expert Group Report under Section 7, the SIA Report shall be deemed to be cancelled.

⇒ परन्तु समुचित सरकार इस 12 माह की अवधि को चाहे तो बढ़ा सकती है।

However, the appropriate government may extend this period of 12 months if it so wishes.

धारा – 15- आक्षेपों की सुनवाई (objections)

Section – 15 – Hearing of objections

1. भूमि अर्जन से हितबद्ध व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के 60 दिन के भीतर निम्नलिखित बिन्दुओं पर लिखित आपत्ति कलेक्टर को स्वयं, प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से दे सकता है।

A person interested in land acquisition may, within 60 days of the initial notification, submit written objections to the Collector in person, through a representative or through a lawyer on the following points.

(a) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति

Regarding the area and suitability of the land proposed to be acquired

(b) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति
/Regarding the justification given for public purpose

(c) SIA Report के निष्कर्षों के प्रति

Regarding the findings of the SIA Report

⇒ हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा दाखिल आक्षेपों पर समुचित सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

The decision of the appropriate government on the objections filed by the interested persons shall be final.

धारा-16 ⇒ प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना

Section-16 ⇒ Preparation of rehabilitation and resettlement scheme by the administrator

धारा-16 के तहत बनी स्कीम का Review, कलेक्टर द्वारा धारा - 45 के तहत परियोजना स्तर पर गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समीति के द्वारा किया जायेगा।

The scheme prepared under section-16 will be reviewed by the rehabilitation and resettlement committee constituted at the project level by the collector under section-45.

कलेक्टर पुनर्वासिन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को अपने सुझावों सहित पुनर्वासिन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (Commissioner) को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

The collector will submit the rehabilitation and resettlement scheme along with its suggestions to the rehabilitation and resettlement commissioner for approval.

धारा-17 ⇒ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का पुनर्विलोक (Review)

Section-17 ⇒ Review of rehabilitation and resettlement scheme

धारा-18 ⇒ अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार्वजनिक किया जाना

Section-18 ⇒ Publication of approved rehabilitation and resettlement scheme

धारा-19 ⇒ पुनर्वासिन तथा पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार का प्रकाशन कलेक्टर द्वारा

Section-19 ⇒ Publication of declaration and summary of rehabilitation and resettlement By the collector

⇒ ऐसी घोषणा तब तक नहीं की जायेगी जब तक भूमि अर्जन करने वाली संस्था भूमि अर्जन की रकम अंशतः या पूर्णतया जमा नहीं कर देगी।

Such declaration will not be made until the land acquiring institution has deposited the land acquisition amount either partially or fully.

⇒ धारा-19 के तहत की गयी घोषणा, प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख के 12 माह के भीतर की जायेगी।

Declaration made under section-19 shall be made within 12 months from the date of preliminary notification.

धारा - 21 ⇒ हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना

Section - 21 ⇒ Information to interested persons

(1) कलेक्टर द्वारा अर्जन किये जाने वाली भूमि से संबंधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित की सूचना दिया जाना

The Collector shall give information to all interested persons related to the land to be acquired about the following:

कब्जा लेने के आशय की सूचना / Information about the intention to take possession

किसी प्रकार के प्रतिकर या मुआवजे का दावा कलेक्टर को किया जाए इसकी सूचना

Information about any kind of compensation or compensation claim to be made to the Collector

किसी प्रकार का पुनर्वासन दावा कलेक्टर को किया जाए इसकी सूचना

Information about any kind of rehabilitation claim to be made to the Collector

ऐसी सूचना को website, अर्जित भूमि तथा अर्जित भूमि के निकट स्थानों पर भी प्रकाशित करायेगा।

Such information shall also be published on the website, on the acquired land and at places near the acquired land.

सूचना के प्रकाशन से 30 दिन से 6 माह के भीतर, दावा कलेक्टर के समक्ष व्यक्ति स्वयं, एजेंट या वकील के साथ प्रस्तुत करेगा।/ **Within 30 days to 6 months from the publication of the notice, the claim shall be presented before the Collector by the person himself, with an agent or lawyer.**

ऐसा दावा लिखित रूप में हितबद्ध व्यक्ति या उसके **Agent**
- द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जायेगा।

**Such a claim shall also be made in writing signed
by the interested person or his agent.**

यदि हितबद्ध व्यक्ति कहीं और रहता है, तो कलेक्टर सूचना उसके अंतिम पते/कारोबार स्थल पर भेजेगा और कम से कम 2 राष्ट्रीय अखबारों व वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

If the interested person resides elsewhere, the Collector shall send the notice to his last address/place of business and publish it in at least 2 national newspapers and on the website.

धारा -23 ⇒ कलेक्टर द्वारा जाँच और भूमि अर्जन अधिनिर्णय

Section -23 ⇒ Investigation and Land Acquisition Award by the Collector

धारा - 24 ⇒ कुछ मामलों में 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया का व्यपगत हुआ समझा जाना

Section - 24 ⇒ In certain cases, the process of land acquisition under the Land Acquisition Act of 1894 shall be deemed to have lapsed

1. जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन को अधिनिर्णय नहीं किया गया है, वहाँ प्रतिकर या मुआवजे से संबंधित लार - Act के प्रावधान लागू होंगे।

Where the award has not been made under the said Land Acquisition Act, the provisions of the Act relating to compensation shall be applicable.

2. यदि अधिनिर्णय हो गया है तो 1894 का Act ही लागू माना जायेगा।

If the award has been made, the Act of 1894 shall be deemed to be applicable.

यदि 1 जनवरी 2014 से 5 वर्ष पूर्व अधिनिर्णय हुआ पर भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया, तो कार्यवाही निरस्त मानी जाएगी।

If the award is made 5 years before 1st January 2014 but physical possession of the land is not taken, the proceedings will be deemed to be cancelled.

यदि मुआवजा नहीं दिया गया है, तो पुराना Act निष्प्रभावी होगा और भूमि अर्जन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी।

If compensation is not paid, the old Act will be ineffective and the process of land acquisition will have to be started afresh.

जहाँ अधिनिर्णय किया गया है परन्तु मुआवजा अधिकतर लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, ऐसे में भी सभी प्रभावित व्यक्ति LARR Act के प्रावधानों के तहत मुआवजे के हकदार होंगे।

Where the award has been made but the compensation has not been credited to the accounts of most of the beneficiaries, even then all the affected persons will be entitled to compensation under the provisions of the LARR Act.

धारा - 25 ⇒ वह अवधि, जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा

Section - 25 ⇒ Period within which the award will be made

कलेक्टर को धारा 19 की घोषणा से 12 माह के भीतर अधिनिर्णय करना होगा; अन्यथा भूमि अर्जन की सारी प्रक्रिया निरस्त मानी जाएगी।

The Collector has to make the decision within 12 months from the date of declaration under Section 19; otherwise the entire process of land acquisition will be deemed to be cancelled.

धारा - 26 ⇒ कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण

Section - 26 ⇒ Determination of market value of land by the Collector

1. निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर / Based on the following criteria:

(a) उस क्षेत्र में, भूमि का बाजार मूल्य, जो बैनामे, रजिस्ट्री के अनुसार भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में दिया गया है
Market value of land in that area, as per the agreement, registry, as given in the Indian Stamp Act 1899

(b) निकटवर्ती ग्राम या क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत

Average selling price for similar land situated in the nearby village or area

(c) प्राइवेट कम्पनी या पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के मामले में आपसी सहमति से तय की गयी मुआवजे की रकम

Amount of compensation mutually decided in case of land acquisition for a private company or public private partnership project

इन तीनों में से जो भी अधिक हो।

Whichever is higher of these three.

बाजार मूल्य अवधारण की तारीख धारा-11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख मानी जायेगी।

The date of determination of market value shall be considered as the date of preliminary notification under Section-11.

बाजार मूल्य निकालने के बाद पहली अनुसूची केनुसार कारक से गुणा किया जायेगा।

After arriving at the market value, it shall be multiplied by the factor as per the first schedule.

यदि ऐसी स्थिति बनती है कि भूमि अर्जन करने वाली संस्था मुआवजे के हिस्से के रूप में शेयर देगी, तो वह भूमि के बाजार मूल्य के 25% से अधिक नहीं होंगे और भू-स्वामी शेयर लेने को बाध्य नहीं होगा।

If a situation arises that the institution acquiring the land will give shares as part of compensation, then it will not exceed 25% of the market value of the land and the landowner will not be forced to take the shares.

अध्याय - 02 /Chapter - 02 *

सामाजिक समाधात व लोक प्रयोजन का अवधारण
/Determination of Social Impact and Public
Purpose (समाधात)

* धारा - 4 → सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन का तैयार
किया जाना

Section - 4 → Preparation of Social Impact
Assessment Study

[SIA] रिपोर्ट

→ समूचित सरकार

→ ग्रामीण/नगरीय स्वशासी

संस्थाएं



सहमति/परामर्श

1. जब भी समूचित सरकार किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करेगी, तो प्रभावित क्षेत्र में ग्राम पंचायत " या नगर पालिका की सहमति से या परामर्श से सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन करायेगी।

Whenever the appropriate government acquires land for any public purpose, it will conduct a Social Impact Assessment Study in the affected area with the consent or consultation of the Gram Panchayat or Municipality.

दी
32

आधिकारिक
website

2. SIA की अधिसूचना कलेक्टर, उप कलेक्टर, तहसील आदि कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध करायी जायेगी व सरकार website पर भी upload करायी जायेगी।

The notification of SIA will be made available in the local language in the offices of Collector, Sub-Collector, Tehsil etc. and will also be uploaded on the government website.

SIA

प्रतिनिधि सूची (Panchayat) → प्रतिनिधि सूची

6 माह के अंदर

संपूर्ण

3. पंचायत, ग्रामसभा, नगरपालिका या नगरनिगम आदि ' के प्रतिनिधि को SIA की प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व, दिया जायेगा। / **he representative of Panchayat, Gram Sabha, Municipality or Municipal Corporation etc. will be given proper representation in the process of SIA.**

4. SIA की प्रक्रिया प्रारंभ की तारीख से 06 माह के अन्दर पूरी की जायेगी। / **The process of SIA will be completed within 06 months from the date of commencement.**

5. SIA की रिपोर्ट धारा -06 के अनुसार जन साधारण उपलब्ध करायी जायेगी।

आम जनता।

The report of SIA will be made available to the general public as per Section-06.

* 6. SIA अध्ययन में निम्नलिखित मामले शामिल किये जायेंगे:-
The following matters will be included in the SIA study

लोक प्रयोजन



श्री अधिगुण

से $\frac{1}{2}$ →

(i) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।

Determination of whether the proposed acquisition serves a public purpose.

ii) प्रभावित कुटुम्ब तथा विस्थापित कुटुम्ब की संख्या का आकलन

Assessment of the number of affected and displaced families.

iii) ऐसी सभी सार्वजनिक व प्राइवेट भूमि, मकानों, अन्य सम्पत्तियों कि सीमा का निर्धारण जो प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित होगी। / **Determination of the extent of all public and private land, houses, other properties which will be affected by the proposed land acquisition.**

* iv) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि, उस परियोजना के लिए न्यूनतम सीमा तक की है।

Whether the land proposed for acquisition is up to the minimum limit for the project.

v) क्या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण का विचार किया गया था और उसे क्यों नहीं ठीक / सही पाया गया था। / **Whether land acquisition at any other alternative location was considered and why it was not found suitable/appropriate.**

vi) परियोजना के सामाजिक ^{समाधान} समाधान व उनको ठीक करने का खर्च / **Social impacts of the project and the cost of their mitigation.**

यदि किसी परियोजना में पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन किया जाना है तो वह SIA के साथ - साथ किया जायेगा तथा SIA के पूरा होने पर निर्भर नहीं करेगा।

If an environmental impact assessment study is to be conducted in a project, it will be done simultaneously with the SIA and wil

[पर्यावरण पर क्या प्रभाव]

⇒ SIA करने वाला अधिकारी समाघात को ठीक करने के लिए अपनाये जाने वाले सुधारों की एक सूची तैयार करेगा जिसे सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना कहा जायेगा।

The officer conducting the SIA will prepare a list of improvements to be adopted to mitigate the impact, which will be called the Social Impact Management Plan.

धारा -05 ⇒ सामाजिक ^{विपार} समाघात के लिए लोक सुनवाई प्रभावित कुटुम्बों का मत लेने के लिए निर्धारित तारीख व स्थान पर समुचित सरकार लोक सुनवाई का प्रबंध करेगी।

Section -05 ⇒ Public hearing for social impact affected The appropriate government will arrange for a public hearing on the prescribed date and place to take the opinion of the families.

सर्वे

SIA

स्वातंत्र्य विशेषज्ञ
समूह
(समिति) * *

विश्लेषण / Analyze
मूल्यांकन

* धारा - 06 ⇒ सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन

Section - 06 ⇒ Publication of Social Impact Assessment Study Report

* * धारा - 07 ⇒ SIA रिपोर्ट का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन
(जाँच करने का प्रावधान) *Appraisal*

Section - 07 ⇒ Marking of SIA Report by Expert Group (Provision for scrutiny)

SIA Report के मूल्यांकन हेतु expert group में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे : 7 ^A सूचना

The expert group will have the following persons for evaluation of SIA Report:

(a) दो गैर-सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक / **Two non-government social scientists**

* (b) पंचायत, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर निगम के 02 प्रतिनिधि / **02 representatives of Panchayat, Gram Sabha, Municipality or Municipal Corporation**

संज्ञान → का
कारिण से →

(c) पुनर्व्यवस्थापन - संबंधी दो व्यक्ति

Two persons related to rehabilitation

(d) परियोजना से संबंधी एक तकनीकी विशेषज्ञ

One technical expert related to the project

2 माह के अंदर

⇒ यदि विशेषज्ञ समूह माने कि परियोजना से लोक प्रयोजन पूरा नहीं होता या लाभ कम है, तो 2 माह में कारण सहित परियोजना छोड़ने की सिफारिश होगी।

सिफारिश देना होता है।

वाक्य नहीं है

→ सरकार चाहे तो विशेषज्ञ समूह की राय के विपरीत भी भूमि अर्जन की कार्यवाही कर सकती है।

If the government wishes, it can initiate action for land acquisition even contrary to the opinion of the expert group.

* ⇒ विशेषज्ञ समूह परियोजना के पक्ष में भी अपनी राय 02 माह के अन्दर दे सकता है।

The expert group can also give its opinion in favour of the project within 02 months

धारा-08 ⇒ समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन संबंधी प्रस्थापनाओं की और सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट की परीक्षा

Section-08 ⇒ Examination of proposals for land acquisition and social impact assessment report by appropriate government

(i) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी :

Appropriate government shall ensure:

a. क्या प्रस्तावित अर्जन विधि सम्मत तथा सद्भाविक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

Whether the proposed acquisition is necessary for a lawful and bona fide public purpose.

b. क्या उस भूमि अर्जन के फायदे प्रतिकूल सामाजिक समाधात की तुलना में अधिक है।

Whether the benefits of such land acquisition outweigh the adverse social impact.

c. क्या प्रयोजना हेतु न्यूनतम क्षेत्र के अर्जन का प्रस्ताव किया गया है।

Whether minimum area has been proposed to be acquired for the purpose.

d. क्या पहले से अर्जित कोई ऐसी भूमि उपलब्ध है जिसको अभी तक उपयोग में नहीं लिया गया है।

Whether any such land is already acquired which has not been put to use yet.

e. ऐसी अनुपयोगी भूमि को प्रस्तावित परियोजना के लिए देने की सिफारिश

Recommendation to give such unused land for the proposed project

* ii) कोई निर्णय लेने से पहले सरकार कलेक्टर एवं SIA विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर भी विचार करेगी।

Before taking any decision, the government shall also consider the report of the Collector and the SIA Expert Group.

⇒ ऐसी सभी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समूचित सरकार, ऐसे क्षेत्र के भूमि अर्जन की सिफारिश करेगी जिसमें

After considering all such reports, the appropriate government shall recommend land acquisition in such area in which

→ लोगों का न्यूनतम विस्थापन / **Minimum displacement of people**

→ अवसंरचना / **Infrastructure**

→ पारिस्थितिकी / **Ecology**

→ प्रभावित व्यक्तियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े / **Minimal impact on affected individuals**

(iii) सरकार का निर्णय स्थानीय सरकारी कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जायेगा। /**The decision of the government will be made available in the local government offices in the local language.**

~~x~~ धारा - 09 ⇒ सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन है छुट (SIA)

Section - 09 ⇒ Exemption from Social Impact Assessment Study (SIA)

जहाँ धारा - 40 के अधीन भूमि का अर्जन अति आवश्यक एवं आपातकालीन है वहाँ समुचित सरकार SIA से छूट दे सकेगी। /Where the acquisition of land under Section - 40 is very necessary and emergency, the appropriate government may exempt from SIA.

① SIA रिपोर्ट - यदाशत - 6 (2e)


② जन जन वक्ष - 5

③ SIA करामा जान) - 4

④ STIA → यिरेण → 5 मिए

⑤ SIA - मिकल/मयुलम → 7


⑩ लक्ष विमाना ल



⑪ लिनियर कृषक



⑥ विशेषतः - 1 7



⑦ अिकल → 2 मिए

⑧ लरकार निर्णय 8

⑨ No SIA → 9
8-40

अध्याय - 03 /Chapter - 03

धारा - 10 - खाद्य सुरक्षा के रक्षा हेतु उपाय /Section - 10 - Measures to protect food security

(1) इस अधिनियम के अधीन सिंचित बहु - फसली भूमि का अर्जन नहीं किया जायेगा। (अपवाद छोड़कर)

Irrigated multi-crop land will not be acquired under this Act. (Except exceptions)

(2) सिंचित बहु-फसली भूमि का अधिग्रहण अपवाद के तौर पर अंतिम उपाय के रूप में ही किया जायेगा।

Irrigated multi-crop land will be acquired only as an exception and as a last resort.

(3) यदि सिंचित बहु-फसली भूमि का अर्जन होना भी है तो निम्न परिस्थितियों में किया जायेगा

If irrigated multi-crop land is to be acquired, it will be done under the following conditions

(a) अर्जित सिंचित बहुफसली भूमि के बराबर खेती योग्य बंजर भूमि कृषि हेतु विकसित की जाएगी।

Cultivable wasteland equal to the acquired irrigated multi-crop land will be developed for agriculture.

(b) सिंचित बहुफसली भूमि के बदले समान मूल्य की राशि सरकार के पास जमा होगी, जिसका उपयोग खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में होगा।

In lieu of irrigated multi-crop land, an amount of equal value will be deposited with the government, which will be used to increase food security.

4) कृषि भूमि का अर्जित किया क्षेत्र, शुद्ध बुआई क्षेत्र से अधिक नहीं होगा।

The area of agricultural land acquired will not exceed the net sown area.

(5) दीर्घकालीन परियोजनाएँ (जैसे रेल, राज्यमार्ग, जिला सड़क, नहर, विद्युत लाइन) पर धारा 10 लागू नहीं होगी।

Section 10 will not apply to long-term projects (such as railway, state highway, district road, canal, power line).

अध्याय - 04

अधिसूचना और अर्जुन / Notification and Arjun

धारा-11 ⇒ प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा तदोपरांत अधिकारियों की शक्तियाँ

Section-11 ⇒ Publication of preliminary notification and powers of officers thereafter

(i) समूचित सरकार द्वारा किसी क्षेत्र की भूमि (ग्रामीण या शहरी), लोक प्रयोजन हेतु, अर्जित किये जाने की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन

Publication of preliminary notification of acquisition of land (rural or urban) of any area by the appropriate government for public purpose

→ यह अधिसूचना निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित की जायेगी /**This notification will be published in the following manner**

(a) राजपत्र या अधिकारी गजट में (**official gazette**) /**In the Gazette or official gazette**

(b) दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में (1स्थानीय भाषा में) /**In two local daily newspapers (in local language)**

(c) पंचायत अथवा नगर पालिका या नगरनिगम, कलेक्टर, SDM, तहसील आदि कार्यालयों में स्थानीय भाषा में /In the offices of Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, Collector, SDM, Tehsil etc. in local language

(d) समुचित सरकार website पर /On the appropriate government website

(e) प्रभावित क्षेत्रों में किसी अन्य रीति से /In any other manner in the affected areas

(ii) प्रारम्भिक अधिसूचना जारी किये जाने के बाद, पंचायत अथवा नगर पालिका आदि में बैठक द्वारा ऐसे अधिग्रहण के विषय में सूचित किया जायेगा। **/After the preliminary notification is issued, the Panchayat or Municipality etc. will be informed about such acquisition by a meeting.**

(iii) अधिसूचना में लोक प्रयोजन, विस्थापन के कारण, सामाजिक प्रभाव आकलन का सारांश व पुनर्वासन प्रशासक का कथन जनता को बताया जाएगा तथा ऐसी अधिसूचना में भी दर्ज होगा।

The notification shall state the public purpose, reasons for displacement, summary of social impact assessment and statement of rehabilitation administrator to the public and shall also be recorded in such notification.

iv) प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से भूमि से जुड़े लेन-देन/क्रय-विक्रय प्रतिबंधित होंगे।

Transactions/purchase-sale of land shall be prohibited from the date of preliminary notification.

* कलेक्टर द्वारा भूमि के स्वामी के आवेदन पर ऐसा करने की छूट दी जा सकती है।

The Collector may grant exemption to do so on the application of the land owner.

(v) प्रारंभिक अधिसूचना के बाद व धारा 19 की घोषणा से पहले, कलेक्टर 2 माह में भूमि से जुड़े दस्तावेज अपडेट करेगा। कार्य कलेक्टर अपने हाथों में लेगा और उसे पूरा करेगा।

After the preliminary notification and before the declaration of section 19, the Collector shall update the documents related to the land within 2 months. The Collector shall take the work in his hands and complete it.

धारा-12 ⇒ भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण और अधिकारियों की सर्वेक्षण शक्ति

Section-12 ⇒ Preliminary survey of land and survey power of officers

सर्वेक्षण करने से पहले भू- स्वामी को 60 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।

It is necessary to give 60 days prior notice to the land owner before conducting the survey.

रहने के स्थान में प्रवेश करने के लिए 07 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य है।

07 days prior notice is mandatory for entering the living place.

धारा-13 ⇒ किसी भी प्रकार के नुकासान के लिए क्षति पूर्ति
Section-13 ⇒ Compensation for any kind of loss

धारा -14 ⇒ SIA रिपोर्ट का व्यपगत होना (lapse)
Section-14 ⇒ Lapse of SIA Report

⇒ यदि धारा 7 की विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट के 12 माह के भीतर धारा 11 की अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो SIA रिपोर्ट निरस्त मानी जाएगी।

If the notification under Section 11 is not issued within 12 months of the Expert Group Report under Section 7, the SIA Report shall be deemed to be cancelled.

⇒ परन्तु समुचित सरकार इस 12 माह की अवधि को चाहे तो बढ़ा सकती है।

However, the appropriate government may extend this period of 12 months if it so wishes.

धारा – 15- आक्षेपों की सुनवाई (objections)

Section – 15 – Hearing of objections

1. भूमि अर्जन से हितबद्ध व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के 60 दिन के भीतर निम्नलिखित बिन्दुओं पर लिखित आपत्ति कलेक्टर को स्वयं, प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से दे सकता है।

A person interested in land acquisition may, within 60 days of the initial notification, submit written objections to the Collector in person, through a representative or through a lawyer on the following points.

(a) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति

Regarding the area and suitability of the land proposed to be acquired

(b) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति
/Regarding the justification given for public purpose

(c) SIA Report के निष्कर्षों के प्रति

Regarding the findings of the SIA Report

⇒ हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा दाखिल आक्षेपों पर समुचित सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

The decision of the appropriate government on the objections filed by the interested persons shall be final.

धारा-16 ⇒ प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना

Section-16 ⇒ Preparation of rehabilitation and resettlement scheme by the administrator

धारा-16 के तहत बनी स्कीम का Review, कलेक्टर द्वारा धारा - 45 के तहत परियोजना स्तर पर गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समीति के द्वारा किया जायेगा।

The scheme prepared under section-16 will be reviewed by the rehabilitation and resettlement committee constituted at the project level by the collector under section-45.

कलेक्टर पुनर्वासिन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को अपने सुझावों सहित पुनर्वासिन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (Commissioner) को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

The collector will submit the rehabilitation and resettlement scheme along with its suggestions to the rehabilitation and resettlement commissioner for approval.

धारा-17 ⇒ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का पुनर्विलोक (Review)

Section-17 ⇒ Review of rehabilitation and resettlement scheme

धारा-18 ⇒ अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार्वजनिक किया जाना

Section-18 ⇒ Publication of approved rehabilitation and resettlement scheme

धारा-19 ⇒ पुनर्वासिन तथा पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार का प्रकाशन कलेक्टर द्वारा

Section-19 ⇒ Publication of declaration and summary of rehabilitation and resettlement By the collector

⇒ ऐसी घोषणा तब तक नहीं की जायेगी जब तक भूमि अर्जन करने वाली संस्था भूमि अर्जन की रकम अंशतः या पूर्णतया जमा नहीं कर देगी।

Such declaration will not be made until the land acquiring institution has deposited the land acquisition amount either partially or fully.

⇒ धारा-19 के तहत की गयी घोषणा, प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख के 12 माह के भीतर की जायेगी।

Declaration made under section-19 shall be made within 12 months from the date of preliminary notification.

धारा - 21 ⇒ हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना

Section - 21 ⇒ Information to interested persons

(1) कलेक्टर द्वारा अर्जन किये जाने वाली भूमि से संबंधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित की सूचना दिया जाना

The Collector shall give information to all interested persons related to the land to be acquired about the following:

कब्जा लेने के आशय की सूचना / Information about the intention to take possession

किसी प्रकार के प्रतिकर या मुआवजे का दावा कलेक्टर को किया जाए इसकी सूचना

Information about any kind of compensation or compensation claim to be made to the Collector

किसी प्रकार का पुनर्वासन दावा कलेक्टर को किया जाए इसकी सूचना

Information about any kind of rehabilitation claim to be made to the Collector

ऐसी सूचना को website, अर्जित भूमि तथा अर्जित भूमि के निकट स्थानों पर भी प्रकाशित करायेगा।

Such information shall also be published on the website, on the acquired land and at places near the acquired land.

सूचना के प्रकाशन से 30 दिन से 6 माह के भीतर, दावा कलेक्टर के समक्ष व्यक्ति स्वयं, एजेंट या वकील के साथ प्रस्तुत करेगा।/ **Within 30 days to 6 months from the publication of the notice, the claim shall be presented before the Collector by the person himself, with an agent or lawyer.**

ऐसा दावा लिखित रूप में हितबद्ध व्यक्ति या उसके **Agent**
- द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जायेगा।

**Such a claim shall also be made in writing signed
by the interested person or his agent.**

यदि हितबद्ध व्यक्ति कहीं और रहता है, तो कलेक्टर सूचना उसके अंतिम पते/कारोबार स्थल पर भेजेगा और कम से कम 2 राष्ट्रीय अखबारों व वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

If the interested person resides elsewhere, the Collector shall send the notice to his last address/place of business and publish it in at least 2 national newspapers and on the website.

धारा -23 ⇒ कलेक्टर द्वारा जाँच और भूमि अर्जन अधिनिर्णय

Section -23 ⇒ Investigation and Land Acquisition Award by the Collector

धारा - 24 ⇒ कुछ मामलों में 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया का व्यपगत हुआ समझा जाना

Section - 24 ⇒ In certain cases, the process of land acquisition under the Land Acquisition Act of 1894 shall be deemed to have lapsed

1. जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन को अधिनिर्णय नहीं किया गया है, वहाँ प्रतिकर या मुआवजे से संबंधित लार - Act के प्रावधान लागू होंगे।

Where the award has not been made under the said Land Acquisition Act, the provisions of the Act relating to compensation shall be applicable.

2. यदि अधिनिर्णय हो गया है तो 1894 का Act ही लागू माना जायेगा।

If the award has been made, the Act of 1894 shall be deemed to be applicable.

यदि 1 जनवरी 2014 से 5 वर्ष पूर्व अधिनिर्णय हुआ पर भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया, तो कार्यवाही निरस्त मानी जाएगी।

If the award is made 5 years before 1st January 2014 but physical possession of the land is not taken, the proceedings will be deemed to be cancelled.

यदि मुआवजा नहीं दिया गया है, तो पुराना Act निष्प्रभावी होगा और भूमि अर्जन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी।

If compensation is not paid, the old Act will be ineffective and the process of land acquisition will have to be started afresh.

जहाँ अधिनिर्णय किया गया है परन्तु मुआवजा अधिकतर लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, ऐसे में भी सभी प्रभावित व्यक्ति LARR Act के प्रावधानों के तहत मुआवजे के हकदार होंगे।

Where the award has been made but the compensation has not been credited to the accounts of most of the beneficiaries, even then all the affected persons will be entitled to compensation under the provisions of the LARR Act.

धारा - 25 ⇒ वह अवधि, जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा

Section - 25 ⇒ Period within which the award will be made

कलेक्टर को धारा 19 की घोषणा से 12 माह के भीतर अधिनिर्णय करना होगा; अन्यथा भूमि अर्जन की सारी प्रक्रिया निरस्त मानी जाएगी।

The Collector has to make the decision within 12 months from the date of declaration under Section 19; otherwise the entire process of land acquisition will be deemed to be cancelled.

धारा - 26 ⇒ कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण

Section - 26 ⇒ Determination of market value of land by the Collector

1. निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर / Based on the following criteria:

(a) उस क्षेत्र में, भूमि का बाजार मूल्य, जो बैनामे, रजिस्ट्री के अनुसार भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में दिया गया है

Market value of land in that area, as per the agreement, registry, as given in the Indian Stamp Act 1899

(b) निकटवर्ती ग्राम या क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत

Average selling price for similar land situated in the nearby village or area

(c) प्राइवेट कम्पनी या पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के मामले में आपसी सहमति से तय की गयी मुआवजे की रकम

Amount of compensation mutually decided in case of land acquisition for a private company or public private partnership project

इन तीनों में से जो भी अधिक हो।

Whichever is higher of these three.

बाजार मूल्य अवधारण की तारीख धारा-11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख मानी जायेगी।

The date of determination of market value shall be considered as the date of preliminary notification under Section-11.

बाजार मूल्य निकालने के बाद पहली अनुसूची केनुसार कारक से गुणा किया जायेगा।

After arriving at the market value, it shall be multiplied by the factor as per the first schedule.

यदि ऐसी स्थिति बनती है कि भूमि अर्जन करने वाली संस्था मुआवजे के हिस्से के रूप में शेयर देगी, तो वह भूमि के बाजार मूल्य के 25% से अधिक नहीं होंगे और भू-स्वामी शेयर लेने को बाध्य नहीं होगा।

If a situation arises that the institution acquiring the land will give shares as part of compensation, then it will not exceed 25% of the market value of the land and the landowner will not be forced to take the shares.

अध्याय - 03 /Chapter - 03

धारा - 10 - खाद्य सुरक्षा की रक्षा हेतु उपाय /Section - 10 - Measures to protect food security

(1) इस अधिनियम के अधीन सिंचित बहु - फसली भूमि का
अर्जन नहीं किया जायेगा। (अपवाद छोड़कर)

Irrigated multi-crop land will not be acquired
under this Act. (Except exceptions)

उत्तम सिंचित भूमि

अंतिम उपाय के रूप में ही किया जायेगा

शुद्ध बंधन क्षेत्र की

तथा सीमा से सम्बन्धित है

(2) सिंचित बहु-फसली भूमि का अधिग्रहण अपवाद के तौर पर अंतिम उपाय के रूप में ही किया जायेगा।

Irrigated multi-crop land will be acquired only as an exception and as a last resort.

(3) यदि सिंचित बहु-फसली भूमि का अर्जन होना भी है तो निम्न परिस्थितियों में किया जायेगा

If irrigated multi-crop land is to be acquired, it will be done under the following conditions

Not more than
Limit of Net Sown Area

(a) अर्जित सिंचित बहुफसली भूमि के बराबर खेती योग्य बंजर भूमि कृषि हेतु विकसित की जाएगी।

Cultivable wasteland equal to the acquired irrigated multi-crop land will be developed for agriculture.

(b) सिंचित बहुफसली भूमि के बदले समान मूल्य की राशि सरकार के पास जमा होगी, जिसका उपयोग 'खाद्य सुरक्षा' बढ़ाने में होगा।

In lieu of irrigated multi-crop land, an amount of equal value will be deposited with the government, which will be used to increase food security.

4) कृषि भूमि का अर्जित किया क्षेत्र, शुद्ध बुआई क्षेत्र से अधिक नहीं होगा।

The area of agricultural land acquired will not exceed the net sown area.

* (5) दीर्घकालीन परियोजनाएँ (जैसे रेल, राज्यमार्ग, जिला सड़क, नहर, विद्युत लाइन) पर धारा 10 लागू नहीं होगी।

Section 10 will not apply to long-term projects (such as railway, state highway, district road, canal, power line).

* Chapter | अध्याय - 04 :

अधिसूचना और अर्जन / **Notification and Arjun**

****** धारा-11 ⇒ प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा तदोपरांत अधिकारियों की शक्तियाँ

Section-11 ⇒ **Publication of preliminary notification and powers of officers thereafter**

धारा अधिसूचना

की शक्तियाँ प्रारंभ

→ Cn/56

(i) समूचित सरकार द्वारा किसी क्षेत्र की भूमि (ग्रामीण या शहरी), लोक प्रयोजन हेतु, अर्जित किये जाने की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन

Publication of preliminary notification of acquisition of land (rural or urban) of any area by the appropriate government for public purpose

→ यह अधिसूचना निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित की जायेगी /This notification will be published in the following manner

(a) राजपत्र या अधिकारी गजट में (official gazette) /In the Gazette or official gazette

(b) दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में (1 स्थानीय भाषा में)
/In two local daily newspapers (in local language)

(c) पंचायत अथवा नगर पालिका या नगरनिगम, कलेक्टर, SDM, तहसील आदि कार्यालयों में स्थानीय भाषा में /In the offices of Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, Collector, SDM, Tehsil etc. in local language

(d) समुचित सरकार website पर /On the appropriate government website

~~***~~ (e) प्रभावित क्षेत्रों में किसी अन्य रीति से /In any other manner in the affected areas

(ii) प्रारम्भिक अधिसूचना जारी किये जाने के बाद, पंचायत अथवा नगर पालिका आदि में बैठक द्वारा ऐसे अधिग्रहण के विषय में सूचित किया जायेगा। /After the preliminary notification is issued, the Panchayat or Municipality etc. will be informed about such acquisition by a meeting.

(iii) अधिसूचना में लोक प्रयोजन, विस्थापन के कारण, सामाजिक प्रभाव आकलन का सारांश व पुनर्वासन प्रशासक का कथन जनता को बताया जाएगा तथा ऐसी अधिसूचना में भी दर्ज होगा।

The notification shall state the public purpose, reasons for displacement, summary of social impact assessment and statement of rehabilitation administrator to the public and shall also be recorded in such notification.

विशेष:

धारा 43 के

अंत

(शिवदा अर्थात्
आदिवासी अर्थात्
या 34 अर्थात्

या 34 अर्थात् शिवदा

iv) प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से भूमि से जुड़े लेन-देन/क्रय-विक्रय प्रतिबंधित होंगे।

Transactions/purchase-sale of land shall be prohibited from the date of preliminary notification.

*** कलेक्टर द्वारा भूमि के स्वामी के आवेदन पर ऐसा करने की छूट दी जा सकती है।**

The Collector may grant exemption to do so on the application of the land owner.

(v) प्रारंभिक अधिसूचना के बाद व ¹⁸¹ धारा 19 की घोषणा से पहले, कलेक्टर 2 माह में भूमि से जुड़े दस्तावेज अपडेट करेगा। कार्य कलेक्टर अपने हाथों में लेगा और उसे पूरा करेगा।

After the preliminary notification and before the declaration of section 19, the Collector shall update the documents related to the land within 2 months. The Collector shall take the work in his hands and complete it.

+ धारा-12 ⇒ भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण और अधिकारियों की सर्वेक्षण शक्ति

Section-12 ⇒ Preliminary survey of land and survey power of officers

सर्वेक्षण करने से पहले भू- स्वामी को 60 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।

It is necessary to give 60 days prior notice to the land owner before conducting the survey.

धारा → सर्वेक्षण → 7 दिन का पूर्व सूचना

* धर / रहने के स्थान में प्रवेश करने के लिए 07 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य है।

07 days prior notice is mandatory for entering the living place.


धारा-4 - SIA दस्तावेज

रिपोर्ट

धारा-7 - विशेषज्ञ समूह

Expert Group

2 माह के भीतर



धारा-13 ⇒ किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए क्षति पूर्ति
Section-13 ⇒ Compensation for any kind of loss

* धारा -14 ⇒ SIA रिपोर्ट का व्यपगत होना (lapse)
Section-14 ⇒ Lapse of SIA Report

⇒ यदि धारा 7 की विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट के 12 माह के भीतर धारा 11 की अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो SIA रिपोर्ट निरस्त मानी जाएगी।

If the notification under Section 11 is not issued within 12 months of the Expert Group Report under Section 7, the SIA Report shall be deemed to be cancelled.

~~X~~ ⇒ परन्तु समुचित सरकार इस 12 माह की अवधि को चाहे तो बढ़ा सकती है।

However, the appropriate government may extend this period of 12 months if it so wishes.

→ आपत्ति

धारा - 15- आक्षेपों की सुनवाई (objections)

Section - 15 - Hearing of objections

1. भूमि अर्जन से हितबद्ध व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के 60 दिन के भीतर निम्नलिखित बिन्दुओं पर लिखित आपत्ति कलेक्टर को स्वयं, प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से दे सकता है।

A person interested in land acquisition may, within 60 days of the initial notification, submit written objections to the Collector in person, through a representative or through a lawyer on the following points.

Public
purpose)

लोकयोजना

60 दिन

↳ क्षेत्र
↳ 34 अनुदान
↳ SIA रिपोर्ट

(a) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति

Regarding the area and suitability of the land proposed to be acquired

(b) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति
/Regarding the justification given for public purpose

(c) SIA Report के निष्कर्षों के प्रति

Regarding the findings of the SIA Report

⇒ हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा दाखिल आक्षेपों पर समुचित सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

The decision of the appropriate government on the objections filed by the interested persons shall be final.

निपुणितः धारा : ५३ के तहत

✱ धारा-16 ⇒ प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना

Section-16 ⇒ Preparation of rehabilitation and resettlement scheme by the administrator

धारा-16 के तहत बनी स्कीम का Review, कलेक्टर द्वारा धारा - 45 के तहत परियोजना स्तर पर गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के द्वारा किया जायेगा।

The scheme prepared under section-16 will be reviewed by the rehabilitation and resettlement committee constituted at the project level by the collector under section-45.

Section/धारा: 18:

कलेक्टर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को अपने सुझावों सहित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (Commissioner) को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

The collector will submit the rehabilitation and resettlement scheme along with its suggestions to the rehabilitation and resettlement commissioner for approval.

धारा 17
5121

धारा-17 ⇒ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का पुनर्विलोकन (Review)

Section-17 ⇒ Review of rehabilitation and resettlement scheme

धारा-18 ⇒ अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार्वजनिक किया जाना

Section-18 ⇒ Publication of approved rehabilitation and resettlement scheme

आपवाद धारा 18

✂ धारा-19 ⇒ पुनर्वासिन तथा पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और
सार का प्रकाशन, कलेक्टर द्वारा

**Section-19 ⇒ Publication of declaration and
summary of rehabilitation and resettlement By
the collector**

⇒ ऐसी घोषणा तब तक नहीं की जायेगी जब तक भूमि अर्जन करने वाली संस्था भूमि अर्जन की रकम अंशतः या पूर्णतया जमा नहीं कर देगी।

लगत

Such declaration will not be made until the land acquiring institution has deposited the land acquisition amount either partially or fully.

* ⇒ धारा-19 के तहत की गयी घोषणा, प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख के 12 माह के भीतर की जायेगी।

Declaration made under section-19 shall be made within 12 months from the date of preliminary notification.

धारा - 21 ⇒ हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना

Section - 21 ⇒ Information to interested persons

(1) कलेक्टर द्वारा अर्जन किये जाने वाली भूमि से संबंधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित की सूचना दिया जाना

The Collector shall give information to all interested persons related to the land to be acquired about the following:

कब्जा लेने के आशय की सूचना / **Information about the intention to take possession**

किसी प्रकार के प्रतिकर या मुआवजे का दावा कलेक्टर को किया जाए इसकी सूचना

Information about any kind of compensation or compensation claim to be made to the Collector

किसी प्रकार का पुनर्वासन दावा कलेक्टर को किया जाए इसकी सूचना

Information about any kind of rehabilitation claim to be made to the Collector

ऐसी सूचना को website, अर्जित भूमि तथा अर्जित भूमि के निकट स्थानों पर भी प्रकाशित करायेगा।

Such information shall also be published on the website, on the acquired land and at places near the acquired land.

सूचना के प्रकाशन से 30 दिन से 6 माह के भीतर, दावा कलेक्टर के समक्ष व्यक्ति स्वयं, एजेंट या वकील के साथ प्रस्तुत करेगा।/ **Within 30 days to 6 months from the publication of the notice, the claim shall be presented before the Collector by the person himself, with an agent or lawyer.**

ऐसा दावा लिखित रूप में हितबद्ध व्यक्ति या उसके **Agent**
- द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जायेगा।

**Such a claim shall also be made in writing signed
by the interested person or his agent.**

यदि हितबद्ध व्यक्ति कहीं और रहता है, तो कलेक्टर सूचना उसके अंतिम पते/कारोबार स्थल पर भेजेगा और कम से कम 2 राष्ट्रीय अखबारों व वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

If the interested person resides elsewhere, the Collector shall send the notice to his last address/place of business and publish it in at least 2 national newspapers and on the website.

धारा -23 ⇒ कलेक्टर द्वारा जाँच और भूमि अर्जन अधिनिर्णय

Section -23 ⇒ Investigation and Land Acquisition Award by the Collector

धारा - 24 ⇒ कुछ मामलों में 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया का व्यपगत हुआ समझा जाना

Section - 24 ⇒ In certain cases, the process of land acquisition under the Land Acquisition Act of 1894 shall be deemed to have lapsed

1. जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन को अधिनिर्णय नहीं किया गया है, वहाँ प्रतिकर या मुआवजे से संबंधित लार - Act के प्रावधान लागू होंगे।

Where the award has not been made under the said Land Acquisition Act, the provisions of the Act relating to compensation shall be applicable.

2. यदि अधिनिर्णय हो गया है तो 1894 का Act ही लागू माना जायेगा।

If the award has been made, the Act of 1894 shall be deemed to be applicable.

यदि 1 जनवरी 2014 से 5 वर्ष पूर्व अधिनिर्णय हुआ पर भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया, तो कार्यवाही निरस्त मानी जाएगी।

If the award is made 5 years before 1st January 2014 but physical possession of the land is not taken, the proceedings will be deemed to be cancelled.

यदि मुआवजा नहीं दिया गया है, तो पुराना Act निष्प्रभावी होगा और भूमि अर्जन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी।

If compensation is not paid, the old Act will be ineffective and the process of land acquisition will have to be started afresh.

जहाँ अधिनिर्णय किया गया है परन्तु मुआवजा अधिकतर लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, ऐसे में भी सभी प्रभावित व्यक्ति LARR Act के प्रावधानों के तहत मुआवजे के हकदार होंगे।

Where the award has been made but the compensation has not been credited to the accounts of most of the beneficiaries, even then all the affected persons will be entitled to compensation under the provisions of the LARR Act.

धारा - 25 ⇒ वह अवधि, जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा

Section - 25 ⇒ Period within which the award will be made

कलेक्टर को धारा 19 की घोषणा से 12 माह के भीतर अधिनिर्णय करना होगा; अन्यथा भूमि अर्जन की सारी प्रक्रिया निरस्त मानी जाएगी।

The Collector has to make the decision within 12 months from the date of declaration under Section 19; otherwise the entire process of land acquisition will be deemed to be cancelled.

धारा - 26 ⇒ कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण

Section - 26 ⇒ Determination of market value of land by the Collector

1. निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर / Based on the following criteria:

(a) उस क्षेत्र में, भूमि का बाजार मूल्य, जो बैनामे, रजिस्ट्री के अनुसार भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में दिया गया है
Market value of land in that area, as per the agreement, registry, as given in the Indian Stamp Act 1899

(b) निकटवर्ती ग्राम या क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत

Average selling price for similar land situated in the nearby village or area

(c) प्राइवेट कम्पनी या पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के मामले में आपसी सहमति से तय की गयी मुआवजे की रकम

Amount of compensation mutually decided in case of land acquisition for a private company or public private partnership project

इन तीनों में से जो भी अधिक हो।

Whichever is higher of these three.

बाजार मूल्य अवधारण की तारीख धारा-11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख मानी जायेगी।

The date of determination of market value shall be considered as the date of preliminary notification under Section-11.

बाजार मूल्य निकालने के बाद पहली अनुसूची केनुसार कारक से गुणा किया जायेगा।

After arriving at the market value, it shall be multiplied by the factor as per the first schedule.

यदि ऐसी स्थिति बनती है कि भूमि अर्जन करने वाली संस्था मुआवजे के हिस्से के रूप में शेयर देगी, तो वह भूमि के बाजार मूल्य के 25% से अधिक नहीं होंगे और भू-स्वामी शेयर लेने को बाध्य नहीं होगा।

If a situation arises that the institution acquiring the land will give shares as part of compensation, then it will not exceed 25% of the market value of the land and the landowner will not be forced to take the shares.

अध्याय - 03 /Chapter - 03

धारा - 10 - खाद्य सुरक्षा की रक्षा हेतु उपाय /Section - 10 - Measures to protect food security

(1) इस अधिनियम के अधीन सिंचित बहु - फसली भूमि का
अर्जन नहीं किया जायेगा। (अपवाद छोड़कर)

Irrigated multi-crop land will not be acquired
under this Act. (Except exceptions)

उत्तम सिंचित भूमि

अंतिम उपाय के रूप में ही किया जायेगा

शुद्ध बंधन क्षेत्र की

तथा सीमा से सम्बन्धित है

(2) सिंचित बहु-फसली भूमि का अधिग्रहण अपवाद के तौर पर अंतिम उपाय के रूप में ही किया जायेगा।

Irrigated multi-crop land will be acquired only as an exception and as a last resort.

(3) यदि सिंचित बहु-फसली भूमि का अर्जन होना भी है तो निम्न परिस्थितियों में किया जायेगा

If irrigated multi-crop land is to be acquired, it will be done under the following conditions

Not more than
Limit of Net Sown Area

(a) अर्जित सिंचित बहुफसली भूमि के बराबर खेती योग्य बंजर भूमि कृषि हेतु विकसित की जाएगी।

Cultivable wasteland equal to the acquired irrigated multi-crop land will be developed for agriculture.

(b) सिंचित बहुफसली भूमि के बदले समान मूल्य की राशि सरकार के पास जमा होगी, जिसका उपयोग 'खाद्य सुरक्षा' बढ़ाने में होगा।

In lieu of irrigated multi-crop land, an amount of equal value will be deposited with the government, which will be used to increase food security.

4) कृषि भूमि का अर्जित किया क्षेत्र, शुद्ध बुआई क्षेत्र से अधिक नहीं होगा।

The area of agricultural land acquired will not exceed the net sown area.

* (5) दीर्घकालीन परियोजनाएँ (जैसे रेल, राज्यमार्ग, जिला सड़क, नहर, विद्युत लाइन) पर धारा 10 लागू नहीं होगी।

Section 10 will not apply to long-term projects (such as railway, state highway, district road, canal, power line).

* Chapter | अध्याय - 04 :

अधिसूचना और अर्जन / **Notification and Arjun**

****** धारा-11 ⇒ प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा तदोपरांत अधिकारियों की शक्तियाँ

Section-11 ⇒ **Publication of preliminary notification and powers of officers thereafter**

धारा अधिसूचना

की शक्तियाँ प्रारंभ

→ Cn/56

(i) समूचित सरकार द्वारा किसी क्षेत्र की भूमि (ग्रामीण या शहरी), लोक प्रयोजन हेतु, अर्जित किये जाने की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन

Publication of preliminary notification of acquisition of land (rural or urban) of any area by the appropriate government for public purpose

→ यह अधिसूचना निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित की जायेगी /This notification will be published in the following manner

(a) राजपत्र या अधिकारी गजट में (official gazette) /In the Gazette or official gazette

(b) दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में (1 स्थानीय भाषा में)
/In two local daily newspapers (in local language)

(c) पंचायत अथवा नगर पालिका या नगरनिगम, कलेक्टर, SDM, तहसील आदि कार्यालयों में स्थानीय भाषा में /In the offices of Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, Collector, SDM, Tehsil etc. in local language

(d) समुचित सरकार website पर /On the appropriate government website

******* (e) प्रभावित क्षेत्रों में किसी अन्य रीति से /In any other manner in the affected areas

(ii) प्रारम्भिक अधिसूचना जारी किये जाने के बाद, पंचायत अथवा नगर पालिका आदि में बैठक द्वारा ऐसे अधिग्रहण के विषय में सूचित किया जायेगा। /After the preliminary notification is issued, the Panchayat or Municipality etc. will be informed about such acquisition by a meeting.

(iii) अधिसूचना में लोक प्रयोजन, विस्थापन के कारण, सामाजिक प्रभाव आकलन का सारांश व पुनर्वासन प्रशासक का कथन जनता को बताया जाएगा तथा ऐसी अधिसूचना में भी दर्ज होगा।

The notification shall state the public purpose, reasons for displacement, summary of social impact assessment and statement of rehabilitation administrator to the public and shall also be recorded in such notification.

विशेष:

धारा 43 के

अंत

(शुद्ध अर्थ में, आदिवासी, या 34 अर्थ में)

या 34 अर्थ में, आदिवासी

iv) प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से भूमि से जुड़े लेन-देन/क्रय-विक्रय प्रतिबंधित होंगे।

Transactions/purchase-sale of land shall be prohibited from the date of preliminary notification.

* कलेक्टर द्वारा भूमि के स्वामी के आवेदन पर ऐसा करने की छूट दी जा सकती है।

The Collector may grant exemption to do so on the application of the land owner.

(v) प्रारंभिक अधिसूचना के बाद व ¹⁸¹ धारा 19 की घोषणा से पहले, कलेक्टर 2 माह में भूमि से जुड़े दस्तावेज अपडेट करेगा। कार्य कलेक्टर अपने हाथों में लेगा और उसे पूरा करेगा।

After the preliminary notification and before the declaration of section 19, the Collector shall update the documents related to the land within 2 months. The Collector shall take the work in his hands and complete it.

+ धारा-12 ⇒ भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण और अधिकारियों की सर्वेक्षण शक्ति

Section-12 ⇒ Preliminary survey of land and survey power of officers

सर्वेक्षण करने से पहले भू- स्वामी को 60 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।

It is necessary to give 60 days prior notice to the land owner before conducting the survey.

धारा-12 → सर्वेक्षण → 7 दिन का पूर्व सूचना

* धर / रहने के स्थान में प्रवेश करने के लिए 07 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य है।

07 days prior notice is mandatory for entering the living place.


धारा-4 - SIA सुधा

रिपोर्ट

धारा-7 - विशेषज्ञ समूह

Expert Group

2 माह के भीतर



धारा-13 ⇒ किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए क्षति पूर्ति
Section-13 ⇒ Compensation for any kind of loss

* धारा -14 ⇒ SIA रिपोर्ट का व्यपगत होना (lapse)
Section-14 ⇒ Lapse of SIA Report

⇒ यदि धारा 7 की विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट के 12 माह के भीतर धारा 11 की अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो SIA रिपोर्ट निरस्त मानी जाएगी।

If the notification under Section 11 is not issued within 12 months of the Expert Group Report under Section 7, the SIA Report shall be deemed to be cancelled.

~~X~~ ⇒ परन्तु समुचित सरकार इस 12 माह की अवधि को चाहे तो बढ़ा सकती है।

However, the appropriate government may extend this period of 12 months if it so wishes.

→ आपत्ति

धारा - 15- आक्षेपों की सुनवाई (objections)

Section - 15 - Hearing of objections

1. भूमि अर्जन से हितबद्ध व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के 60 दिन के भीतर निम्नलिखित बिन्दुओं पर लिखित आपत्ति कलेक्टर को स्वयं, प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से दे सकता है।

A person interested in land acquisition may, within 60 days of the initial notification, submit written objections to the Collector in person, through a representative or through a lawyer on the following points.

Public
purpose)

लोकयोजना

60 दिन

↳ क्षेत्र
↳ 34 अनुदान
↳ SIA रिपोर्ट

(a) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति

Regarding the area and suitability of the land proposed to be acquired

(b) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति
/Regarding the justification given for public purpose

(c) SIA Report के निष्कर्षों के प्रति

Regarding the findings of the SIA Report

⇒ हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा दाखिल आक्षेपों पर समुचित सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

The decision of the appropriate government on the objections filed by the interested persons shall be final.

निपुणितः धारा : ५३ के तहत

धारा-16 ⇒ प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना

Section-16 ⇒ Preparation of rehabilitation and resettlement scheme by the administrator

धारा-16 के तहत बनी स्कीम का Review, कलेक्टर द्वारा धारा - 45 के तहत परियोजना स्तर पर गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के द्वारा किया जायेगा।

The scheme prepared under section-16 will be reviewed by the rehabilitation and resettlement committee constituted at the project level by the collector under section-45.

Section/धारा: 18:

कलेक्टर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को अपने सुझावों सहित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (Commissioner) को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

The collector will submit the rehabilitation and resettlement scheme along with its suggestions to the rehabilitation and resettlement commissioner for approval.

धारा 17
5121

धारा-17 ⇒ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का पुनर्विलोकन (Review)

Section-17 ⇒ Review of rehabilitation and resettlement scheme

धारा-18 ⇒ अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार्वजनिक किया जाना

Section-18 ⇒ Publication of approved rehabilitation and resettlement scheme

आयुक्त 5121

✂ धारा-19 ⇒ पुनर्वासिन तथा पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और
सार का प्रकाशन, कलेक्टर द्वारा

Section-19 ⇒ Publication of declaration and
summary of rehabilitation and resettlement By
the collector

⇒ ऐसी घोषणा तब तक नहीं की जायेगी जब तक भूमि अर्जन करने वाली संस्था भूमि अर्जन की रकम अंशतः या पूर्णतया जमा नहीं कर देगी।

लागत

Such declaration will not be made until the land acquiring institution has deposited the land acquisition amount either partially or fully.

* ⇒ धारा-19 के तहत की गयी घोषणा, प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख के 12 माह के भीतर की जायेगी।

Declaration made under section-19 shall be made within 12 months from the date of preliminary notification.

धारा - 21 ⇒ हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना

Section - 21 ⇒ Information to interested persons

(1) कलेक्टर द्वारा अर्जन किये जाने वाली भूमि से संबंधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित की सूचना दिया जाना

The Collector shall give information to all interested persons related to the land to be acquired about the following:

कब्जा लेने के आशय की सूचना / Information about the intention to take possession

किसी प्रकार के प्रतिकर या मुआवजे का दावा कलेक्टर को किया जाए इसकी सूचना

Information about any kind of compensation or compensation claim to be made to the Collector

किसी प्रकार का पुनर्वासन दावा कलेक्टर को किया जाए इसकी सूचना

Information about any kind of rehabilitation claim to be made to the Collector

ऐसी सूचना को website, अर्जित भूमि तथा अर्जित भूमि के निकट स्थानों पर भी प्रकाशित करायेगा।

Such information shall also be published on the website, on the acquired land and at places near the acquired land.

सूचना के प्रकाशन से 30 दिन से 6 माह के भीतर, दावा कलेक्टर के समक्ष व्यक्ति स्वयं, एजेंट या वकील के साथ प्रस्तुत करेगा।/ **Within 30 days to 6 months from the publication of the notice, the claim shall be presented before the Collector by the person himself, with an agent or lawyer.**

ऐसा दावा लिखित रूप में हितबद्ध व्यक्ति या उसके **Agent**
- द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जायेगा।

**Such a claim shall also be made in writing signed
by the interested person or his agent.**

यदि हितबद्ध व्यक्ति कहीं और रहता है, तो कलेक्टर सूचना उसके अंतिम पते/कारोबार स्थल पर भेजेगा और कम से कम 2 राष्ट्रीय अखबारों व वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

If the interested person resides elsewhere, the Collector shall send the notice to his last address/place of business and publish it in at least 2 national newspapers and on the website.

धारा -23 ⇒ कलेक्टर द्वारा जाँच और भूमि अर्जन अधिनिर्णय

Section -23 ⇒ Investigation and Land Acquisition Award by the Collector

धारा - 24 ⇒ कुछ मामलों में 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया का व्यपगत हुआ समझा जाना

Section - 24 ⇒ In certain cases, the process of land acquisition under the Land Acquisition Act of 1894 shall be deemed to have lapsed

1. जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन को अधिनिर्णय नहीं किया गया है, वहाँ प्रतिकर या मुआवजे से संबंधित लार - Act के प्रावधान लागू होंगे।

Where the award has not been made under the said Land Acquisition Act, the provisions of the Act relating to compensation shall be applicable.

2. यदि अधिनिर्णय हो गया है तो 1894 का Act ही लागू माना जायेगा।

If the award has been made, the Act of 1894 shall be deemed to be applicable.

यदि 1 जनवरी 2014 से 5 वर्ष पूर्व अधिनिर्णय हुआ पर भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया, तो कार्यवाही निरस्त मानी जाएगी।

If the award is made 5 years before 1st January 2014 but physical possession of the land is not taken, the proceedings will be deemed to be cancelled.

यदि मुआवजा नहीं दिया गया है, तो पुराना Act निष्प्रभावी होगा और भूमि अर्जन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी।

If compensation is not paid, the old Act will be ineffective and the process of land acquisition will have to be started afresh.

जहाँ अधिनिर्णय किया गया है परन्तु मुआवजा अधिकतर लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, ऐसे में भी सभी प्रभावित व्यक्ति LARR Act के प्रावधानों के तहत मुआवजे के हकदार होंगे।

Where the award has been made but the compensation has not been credited to the accounts of most of the beneficiaries, even then all the affected persons will be entitled to compensation under the provisions of the LARR Act.

धारा - 25 ⇒ वह अवधि, जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा

Section - 25 ⇒ Period within which the award will be made

कलेक्टर को धारा 19 की घोषणा से 12 माह के भीतर अधिनिर्णय करना होगा; अन्यथा भूमि अर्जन की सारी प्रक्रिया निरस्त मानी जाएगी।

The Collector has to make the decision within 12 months from the date of declaration under Section 19; otherwise the entire process of land acquisition will be deemed to be cancelled.

धारा - 26 ⇒ कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण

Section - 26 ⇒ Determination of market value of land by the Collector

1. निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर / Based on the following criteria:

(a) उस क्षेत्र में, भूमि का बाजार मूल्य, जो बैनामे, रजिस्ट्री के अनुसार भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में दिया गया है
Market value of land in that area, as per the agreement, registry, as given in the Indian Stamp Act 1899

(b) निकटवर्ती ग्राम या क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत

Average selling price for similar land situated in the nearby village or area

(c) प्राइवेट कम्पनी या पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के मामले में आपसी सहमति से तय की गयी मुआवजे की रकम

Amount of compensation mutually decided in case of land acquisition for a private company or public private partnership project

इन तीनों में से जो भी अधिक हो।

Whichever is higher of these three.

बाजार मूल्य अवधारण की तारीख धारा-11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख मानी जायेगी।

The date of determination of market value shall be considered as the date of preliminary notification under Section-11.

बाजार मूल्य निकालने के बाद पहली अनुसूची केनुसार कारक से गुणा किया जायेगा।

After arriving at the market value, it shall be multiplied by the factor as per the first schedule.

यदि ऐसी स्थिति बनती है कि भूमि अर्जन करने वाली संस्था मुआवजे के हिस्से के रूप में शेयर देगी, तो वह भूमि के बाजार मूल्य के 25% से अधिक नहीं होंगे और भू-स्वामी शेयर लेने को बाध्य नहीं होगा।

If a situation arises that the institution acquiring the land will give shares as part of compensation, then it will not exceed 25% of the market value of the land and the landowner will not be forced to take the shares.

धारा - 3 (c) - प्रभावित कुटुंब की परिभाषा

Section – 3 (c) – Definition of affected family

प्रभावित कुटुंब के अन्तर्गत निम्नलिखित आयेगे-

The following will come under the affected family-

(v) ऐसा कोई कुटुंब जिसे केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी योजना के तहत कोई भूमि सौंपी गयी थी और उस भूमि का अब अधिग्रहण होना है। / **Any family to which any land was allotted by the Central or State Government under any scheme and that land is now to be acquired.**

* धारा-19 ⇒ पुनर्वासिन तथा पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार का प्रकाशन कलेक्टर द्वारा

Section-19 ⇒ Publication of declaration and summary of rehabilitation and resettlement By the collector

⇒ ऐसी घोषणा तब तक नहीं की जायेगी जब तक भूमि अर्जन करने वाली संस्था भूमि अर्जन की रकम अंशतः या पूर्णतया जमा नहीं कर देगी।

लगातार

Such declaration will not be made until the land acquiring institution has deposited the land acquisition amount either partially or fully.

* ⇒ धारा-19 के तहत की गयी घोषणा, प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख के 12 माह के भीतर की जायेगी।

धारा-11

Declaration made under section-19 shall be made within 12 months from the date of preliminary notification.

*

धारा - 21 ⇒ हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना

Section - 21 ⇒ Information to interested persons

(1) कलेक्टर द्वारा अर्जन किये जाने वाली भूमि से संबंधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित की सूचना दिया जाना

The Collector shall give information to all interested persons related to the land to be acquired about the following:

*

कब्जा लेने के आशय की सूचना / Information about the intention to take possession

किसी प्रकार के प्रतिकर या मुआवजे का दावा कलेक्टर को किया जाए इसकी सूचना

Information about any kind of compensation or compensation claim to be made to the Collector

* किसी प्रकार का पुनर्वासन दावा कलेक्टर को किया जाए इसकी सूचना

Information about any kind of rehabilitation claim to be made to the Collector

ऐसी सूचना को website, अर्जित भूमि तथा अर्जित भूमि के निकट स्थानों पर भी प्रकाशित करायेगा।

Such information shall also be published on the website, on the acquired land and at places near the acquired land.

* सूचना के प्रकाशन से ^{**} 30 दिन से 6 माह के भीतर, दावा, कलेक्टर के समक्ष व्यक्ति स्वयं, एजेंट या वकील के साथ प्रस्तुत करेगा।/Within 30 days to 6 months from the publication of the notice, the claim shall be presented before the Collector by the person himself, with an agent or lawyer.

ऐसा दावा लिखित रूप में हितबद्ध व्यक्ति या उसके Agent
- द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जायेगा।

**Such a claim shall also be made in writing signed
by the interested person or his agent.**

****** यदि हितबद्ध व्यक्ति कहीं और रहता है, तो कलेक्टर सूचना उसके अंतिम पते/कारोबार स्थल पर भेजेगा और कम से कम 2 राष्ट्रीय अखबारों व वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

If the interested person resides elsewhere, the Collector shall send the notice to his last address/place of business and publish it in at least 2 national newspapers and on the website.

* धारा -23 ⇒ कलेक्टर द्वारा जाँच और भूमि अर्जन अधिनिर्णय

Section -23 ⇒ Investigation and Land Acquisition Award by the Collector

***** **

धारा - 24 ⇒ कुछ मामलों में 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया का व्यपगत हुआ समझा जाना (निरस्त)

Section - 24 ⇒ In certain cases, the process of land acquisition under the Land Acquisition Act of 1894 shall be deemed to have lapsed

महावज्रा

मिथ्या दिना

5/12/11, 2/11/11

4/11/11

1. जहाँ उक्त भूमि अर्जन ^{1894 के} अधिनियम के अधीन को अधिनिर्णय नहीं किया गया है, वहाँ प्रतिकर या मुआवजे से संबंधित Land Act के प्रावधान लागू होंगे।

Where the award has not been made under the said Land Acquisition Act, the provisions of the Act relating to compensation shall be applicable.

* 2. यदि अधिनिर्णय हो गया है तो 1894 का Act ही लागू माना जायेगा।

If the award has been made, the Act of 1894 shall be deemed to be applicable.

*

यदि 1 जनवरी 2014 से 5 वर्ष पूर्व अधिनिर्णय हुआ पर भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया, तो कार्यवाही निरस्त मानी जाएगी।

If the award is made 5 years before 1st January 2014 but physical possession of the land is not taken, the proceedings will be deemed to be cancelled.

दोषा 1 से

भूमि अधिनिर्णय

का अधिनिर्णय → LARR Act 2013 के तहत

शुद्ध करनी होगी।

*
*

1894
यदि मुआवजा नहीं दिया गया है, तो पुराना Act निष्प्रभावी
होगा और भूमि अर्जन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी
होगी।

If compensation is not paid, the old Act will be ineffective and the process of land acquisition will have to be started afresh.

* इंदौर विकास प्राधिकरण vs नवीहरलाल (2020)
* गुजरात vs इंदरभारू जयदीभारू परेल (2023)

* जहाँ अधिनिर्णय किया गया है परन्तु मुआवजा अधिकतर लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, ऐसे में भी सभी प्रभावित व्यक्ति LARR Act के प्रावधानों के तहत मुआवजे के हकदार होंगे।

Where the award has been made but the compensation has not been credited to the accounts of most of the beneficiaries, even then all the affected persons will be entitled to compensation under the provisions of the LARR Act.

* धारा - 25 ⇒ वह अवधि, जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा

अध्याय-23

Section - 25 ⇒ Period within which the award will be made

पुनर्वाकित घोषणा

कलेक्टर को धारा 19 की घोषणा से 12 माह के भीतर अधिनिर्णय करना होगा; अन्यथा भूमि अर्जन की सारी प्रक्रिया निरस्त मानी जाएगी।

The Collector has to make the decision within 12 months from the date of declaration under Section 19; otherwise the entire process of land acquisition will be deemed to be cancelled.

धारा - 26 ⇒ कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण

Section - 26 ⇒ Determination of market value of land by the Collector

1. निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर / Based on the following criteria:

(a) उस क्षेत्र में, भूमि का बाजार मूल्य, जो बैनामे, रजिस्ट्री के अनुसार भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में दिया गया है

Market value of land in that area, as per the agreement, registry, as given in the Indian Stamp Act 1899

(b) निकटवर्ती ग्राम या क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत

Average selling price for similar land situated in the nearby village or area

(c) प्राइवेट कम्पनी या पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के मामले में आपसी सहमति से तय की गयी मुआवजे की रकम

Amount of compensation mutually decided in case of land acquisition for a private company or public private partnership project

इन तीनों में से जो भी अधिक हो।

Whichever is higher of these three.

बाजार मूल्य अवधारण की तारीख धारा-11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख मानी जायेगी।

The date of determination of market value shall be considered as the date of preliminary notification under Section-11.

बाजार मूल्य निकालने के बाद पहली अनुसूची केनुसार कारक से गुणा किया जायेगा।

After arriving at the market value, it shall be multiplied by the factor as per the first schedule.

यदि ऐसी स्थिति बनती है कि भूमि अर्जन करने वाली संस्था मुआवजे के हिस्से के रूप में शेयर देगी, तो वह भूमि के बाजार मूल्य के 25% से अधिक नहीं होंगे और भू-स्वामी शेयर लेने को बाध्य नहीं होगा।

If a situation arises that the institution acquiring the land will give shares as part of compensation, then it will not exceed 25% of the market value of the land and the landowner will not be forced to take the shares.